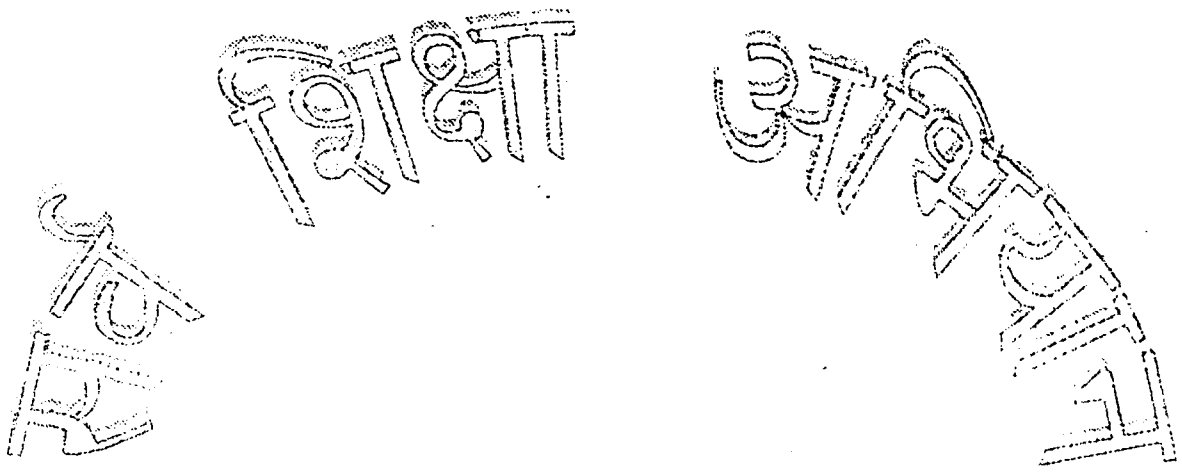

सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - मुजफ्फरनगर

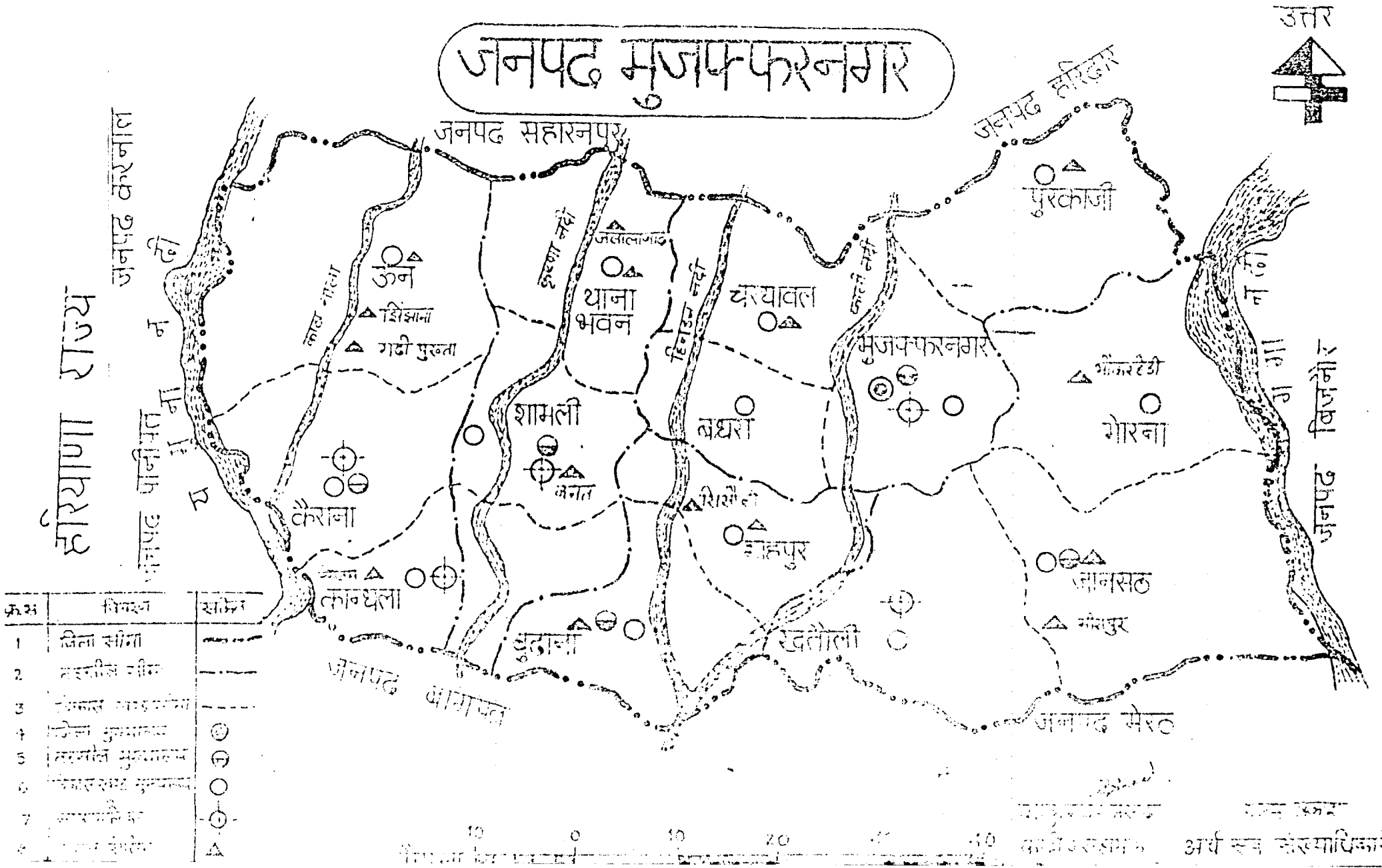

जनपद मुजफ्फरनगर
उत्तर
जनपद सहारनपुर
जनपद हरिद्वार
जनपद करनाल
हरियाणा राज्य
जनपद पानीपत
जनपद मेरठ
जनपद बिजनौर
पुरकाजी
ऊन
झिंझाना
गढ़ी पुख्ता
जलालाबाद
थाना भवन
चरथावल
मुजफ्फरनगर
भोकरहेड़ी
मोरना
शामली
बघरा
कैराना
कांधला
बुढ़ाना
खतौली
शाहपुर
सिसौली
जानसठ
मीरापुर
कृष्णा नदी
हिंडन नदी
काली नदी
क्र.सं.
जिला सीमा
तहसील सीमा

अनुक्रमणिका

मुजफ्फरनगर

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	मुजफ्फरनगर एक दृष्टि में	1 से 4
2.	सैक्षिक परिदृश्य	5 से 29
3.	नियोजन प्रक्रिया	30 से 50
4.	सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य	52 से 55
5.	समस्यायें एवं रणनीति	56 से 60
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार –I	61 से 64
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार –II	65 से 73
8.	ठहराव में वृद्धि	74 से 81
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन	82 से 106
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	107 से 146
11.	परियोजना लागत	
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	

अध्याय –1
मुजफ्फरनगर : एक दृष्टि में

उत्तर प्रदेश के सुदूर पश्चिम में मेरठ तथा सहारनपुर जनपद के मध्य में मुजफ्फरनगर जनपद स्थित है। भारत की दो प्रमुख नदियां गंगा व यमुना क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम मे मुजफ्फरनगर जिले की सीमाओं का निर्माण करती हैं। यमुना के पार हरियाणा राज्य का करनाल जिला तथा गंगा के पार बिजनौर जिला आरम्भ होता है। उत्तर पूर्व में नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार जनपद से भी इस जनपद की सीमायें मिलती हैं। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 4176 वर्ग कि0मी0 है। समुद्रतल से 273 मी0 ऊंचाई पर यह 29.45° अक्षांश तथा 77.9° देशान्तर पर स्थित है।

जिले का अधिकांश भूभाग मैदानी समतल है, जिसका निर्माण गंगा–यमुना नदी के द्वारा लायी गयी मिट्टी से हुआ है। कृषि की दृष्टि से भूमि उपजाऊ होने के कारण यहां के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि तथा मजदूरी है, जिसमें जिले की सत्तर प्रतिशत आबादी लगी हुई है। जनपद कृषि प्रधान होते हुए भी लघु उद्योगों व बड़े उद्योगों का केन्द्र है। यहां का आलू उद्योग व चीनी उद्योग प्रदेश में अपना स्थान रखता है। इस जनपद के 15 रेलवे स्टेशन तथा 355 बस रूटस यहां की सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था के परिचायक है। यहां के 97 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हैं।

इतिहास के अनुसार, मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना मुगल शासक जहांगीर के समय उनके जागीरदार सय्यद मुजफ्फर खान जाहर ने 1633 ई0 में की। परन्तु शहर का विकास वास्तव में सय्यद मुजफ्फरखान के पुत्र लस्कर खान ने किया। इसी ने अपने पिता के नाम पर शहर का नाम मुजफ्फरनगर रखा। जहां 1803 में मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद जिले का हिस्सा था, सन् 1806 में इसे मेरठ तथा सहारनपुर जनपद में बांट दिया। स्वतन्त्र रूप से मुजफ्फरनगर जिला सन् 1826 ई0 में अस्तित्व में आया। सन् 1827 ई0 में यहां नगरपालिका की स्थापना हुई।

प्रशासनिक संरचना :

जनपद मुजफ्फरनगर में 5 तहसील तथा 14 विकासखण्ड है। नगरपालिकाओं तथा नगर पंचायतों की संख्या क्रमशः 1, 5 व 14 है। न्यायपंचायतों की संख्या 112 तथा ग्राम पंचायतें 888 है।

सारणी – 1.1
प्रशासनिक संरचना

क्रमांक	इकाई	संख्या
	ग्रामीण क्षेत्र	
1.	तहसील	5
2.	विकासखण्ड	14
3	न्याय पचायत	112
4.	ग्राम सभाए	687
5	राजस्व ग्राम	886
6.	बस्तियो की संख्या	1020
	नगर क्षेत्र	
1.	नगर निगम	शून्य
2.	नगर पालिका	5
3.	नगर पंचायत	14

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1997

विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है --

सारणी– 1.2
प्रशासनिक संरचना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	न्याय पचायतो की संख्या	ग्राम पचायतो की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	बस्तियो की संख्या
1.	मुजफ्फरनगर सदर	9	52	54	55
2.	चरथावल	7	57	67	70
3.	पुरकाजी	7	42	69	75
4	मोरना	9	47	58	62
5	जानसठ	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	खतौली	11	72	94	10[illegible]
7	बुढ़ाना	7	46	53	56
8	कांधला	8	45	52	64
9.	शाहपुर	6	39	43	45
10	शामली	7	33	43	43
11	कैराना	6	42	51	65
12.	ऊन	10	65	101	15[illegible]
13	थानाभवन	8	47	[illegible]	[illegible]
14.	बघरा	8	40	49	51
	योग	112	687	886	1020

स्रोत जिला सांख्यिकी पत्रिका 1997

जनसंख्या : जनपद की वर्ष 1991 की जनगणना कुल 2842543 थी। औसत वृद्धिदर 2.4 के आधार पर वर्ष 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3534869 है जिसमें 1908829 पुरुष तथा 1626040 स्त्री हैं। इस प्रकार जिले में 54 प्रतिशत पुरुष तथा 46 प्रतिशत स्त्री ह। जिले का पुरुष महिला अनुपात 852 स्त्री प्रति एक हजार पुरुष हैं। जनसंख्या घनत्व 846 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है।

मुजफ्फरनगर जनपद मुख्य रूप से हिन्दू बाहुल्य है। जिले की जनसंख्या का हिन्दू 64 प्रतिशत तथा मुस्लिम 35 प्रतिशत है। एक प्रतिशत में अन्य धर्म सिक्ख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन आदि हैं। मुजफ्फरनगर की कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति व मुस्लिम वर्ग निर्धन एवं अशिक्षित होने के कारण साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं :

सारणी संख्या 1.3
जनसंख्या का विवरण

क्र0 सं0	नाम विकास क्षेत्र	1991 की जनसंख्या			2001 की अनुमानित जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	सदर	101771	87544	189315	126705	107980	23[illegible]
2	बघरा	91118	78400	169516	113508	96690	[illegible]
3	चरथावल	81049	69706	150755	100045	85991	[illegible]
4	पुरकाजी	61936	52078	114016	[illegible]	65035	[illegible]
5	[illegible]	84678	72130	156810	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	जानसठ	95220	81405	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	खतौली	107815	93015	[illegible]	140[illegible]	119[illegible]	[illegible]
8	बुढ़ाना	77779	66599	144378	[illegible]	81783	[illegible]
9	[illegible]	88429	73551	161980	[illegible]	92394	[illegible]
10	शाहपुर	73533	83036	136619	[illegible]	77922	[illegible]
11	[illegible]	64351	53183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	66547	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	76834	66306	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	371246	307984	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	योग	1528634	1313909	2842543	1908829	1626040	353[illegible]

[illegible]

सारणी 1.4

अनुसूचित जाति की विकास खंडवार जनसंख्या

क्रम संख्या	नाम विकास क्षेत्र	1991 की जनसंख्या			2001 की अनुमानित जनसंख्या		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	सादर	20246	17344	37590	24268	20840	45108
2	बघरा	11568	9657	21315	13989	11589	25578
3	बरथावल	15929	13739	29668	19114	16487	35601
4	पुरकाजी	15146	12736	27882	18174	15284	33458
5	गोरना	14642	12368	27010	17570	14842	32412
6	जानसठ	17506	14528	32034	21006	17434	38440
7	खतौली	22455	18905	41360	26945	22687	49632
8	बुढाना	7886	6368	14254	9462	7642	17104
9	काधला	9877	8094	17971	11852	19713	21565
10	शाहपुर	8556	7144	15700	10387	8453	18840
11	कैराना	4626	3738	8364	5550	4486	10036
12	ऊन	10995	9296	20291	13193	11156	24349
13	शामली	10196	8272	18468	12234	9927	22161
14	थानाभवन	12892	10853	23745	15470	13024	28494
15	नगर क्षेत्र रागी	34129	29297	63426	40954	35157	76111
	योग	216739	182339	399078	262168	216721	478889

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1997

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 2000–2001 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय) चल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विद्यालय में शत–प्रतिशत नामांकन कराना, विद्यालय मे उनका ठहराव सुनिश्चित करना एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है इसकी पूर्ति हेतु जनपद में 1.4.2000 से चल रही डी0पी0ई0पी0 III के अन्तर्गत परियोजना अवधि में वर्ष 2004–2005 तक 97 नये प्राथमिक विद्यालय 52 जर्जर/पुर्ननिर्माण, 430 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 520 शौचालय का निर्माण, 63 पेयजल व्यवस्था, 350 विद्यालयों में मरम्मत, 14 बी0आर0सी0 का निर्माण, 152 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों 95 उ0 प्रा0 विद्यालयों का निर्माण कराया जाना है। जिसमें से 97 प्राथमिक विद्यालय, 52 जर्जर ध्वस्त/पुर्ननिर्माण, 300 शौचालय, 175 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 112 एन0पी0आर0सी0 कक्ष, 14 बी0आर0सी0 पर निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। तथा प्राथमिक शिक्षकों को सेवारत/पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं।

1. साक्षरता दर (LITERACY RATE) –

जनपद मुजफ्फरनगर एक कृषि प्रधान जनपद है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की सम्पूर्ण साक्षरता का प्रतिशत 61.68 है, जो राज्य की सम्पूर्ण साक्षरता प्रतिशत से 4.32% अधिक है। जिले का महिला साक्षरता प्रतिशत 48.63% है। इस प्रकार महिला–साक्षरता के मामले में भी जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 6 प्रतिशत आगे हैं परन्तु महिला साक्षरता की यह स्थिति भी सन्तोषजनक नही है और सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य से काफी दूरी [illegible]। महिला साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि करके ही सन् 2007 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

निम्नलिखित तालिका से जनपद की साक्षरता स्पष्ट हो जाती है –

सारणी 2.1

साक्षरता दर

क्रमांक	जनसंख्या निवास की प्रकृति	जनपद की साक्षरता का प्रतिशत	प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत
1.	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	61.63	57.3
2.	ग्रामीण	59.93	36.66
3.	नगरीय	66.64	61.00
4.	कुल पुरुष साक्षरता का प्रतिशत	73.12	55.73
5.	कुल महिला साक्षरता का प्रतिशत	48.63	25.31
6.	कुल ग्रामीण पुरुश साक्षरता	72.54	52.99
7.	कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	43.42	19.02
8.	कुल नगरीय पुरुश साक्षरता प्रतिशत	74.74	69.98
9.	कुल नगरीय महिला साक्षरता प्रतिशत	57.58	50.38

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि जनपद की साक्षरता का पूरे प्रदेश की साक्षरता के सन्दर्भ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मात्र नगरीय पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 73.12 प्रतिशत होने के कारण प्रदेश के नगरीय 70.2 प्रतिशत से आगे है। सारिणी से स्पष्ट हो रहा है कि जहा सम्पूर्ण प्रदेश में महिला साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है उसी क्रम में इस जनपद में भी महिला साक्षर वृद्धि के प्रयास आवश्यक है।

2. तहसीलवार साक्षरता दर (SECTORWISE LITERACY RATE) -

तहसीलवार साक्षरता के प्रतिशत का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि तहसील शामली का कुल साक्षरता प्रतिशत 64.7% है तथा तहसील कैराना का साक्षरता प्रतिशत मात्र 52.31% प्रतिशत है। इस प्रकार एक ही जनपद में 12.40% का अन्तर परिलक्षित हो [illegible] तहसील कैराना सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित होने के कारण शैक्षिक सुविधाओं से उतना लाभान्वित नहीं हो सके है, जितने अन्य विकास क्षेत्र। इन विकास क्षेत्रों में मात्र [illegible] द्वारा ही शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है जहां तक शहरी क्षेत्र की साक्षरता [illegible] का प्रश्न है, पुरुष साक्षरता प्रतिशत 74.74 है और महिलाओं का [illegible] है जो [illegible]

प्रतिशत से ऊंचा लक्षित हो रहा है। फिर भी सम्पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति के लिए इन क्षेत्रों भी शैक्षिक सुविधाओं के पहुंच के विस्तार के लिये प्रयास करना होगा।

तहसीलवार साक्षरता प्रतिशत की तालिका निम्नांकित प्रकार दर्शायी गयी है –

सारणी 2.2

तहसीलवार साक्षरता दर (SECTORWISE LITERACY RATE)

क्र0 सं0	तहसील का नाम	कुल साक्षर			साक्षरता प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	कुल
3.	शामली	169427	93214	262711	77.6	49.63	64.71
4.	कैराना	96711	46546	143317	65.26	37.03	52.31
7.	मुजफ्फरनगर	247962	136031	383993	72.30	45.50	59.60
10.	बुढ़ाना	109491	58332	167823	70.20	42.66	57.33
13.	जनसट	203359	116.381	319740	74.01	47.91	61.76
	योग ग्रामीण	827753	450523	1278276	72.54	45.42	59.93
	नगरीय	297374	204727	502101	74.74	57.57	66.73
	योग जनपद	1125127	655250	1780377	73.16	48.62	61.68

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 20

समस्त तहसीलों की औसत साक्षरता दर 59.93% है। सबसे निम्न साक्षरता दर तहसील कैराना की 52.31% है।

महिला साक्षरता दर की दृष्टि से 2 तहसीलों कैराना एवं बुढ़ाना की महिला साक्षरता दर औसत महिला साक्षरता दर से कम है। सबसे कम महिला साक्षरता दर तहसील कैराना की है जो कि 37.03% है। अतः यहां महिला साक्षरता शोचनीय स्थिति में है।

शैक्षिक संस्थाएं – जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नवत है –

सारणी 2.3

(शैक्षिक संस्थाए)

जनपद – मुजफ्फरनगर

क्रमांक	संस्था का प्रकार	ग्रामीण			नगरीय			कुल योग
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	—	—	1275	—	—	81	1356
2.	प्राथमिक विद्यालय (मान्यता प्राप्त)	510	28	538	547	70	617	1155
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	316	82	398	—	08	08	406
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (राजकीय)	—	01	01	02	—	02	03
5.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (मान्यता प्राप्त)	202	77	279	35	16	51	330
6.	हाई स्कूल (राजकीय)	—	01	01	01	—	01	02
7.	हाई स्कूल (सहायता प्राप्त)	16	05	21	02	02	04	25
8.	हाई स्कूल (मान्यता प्राप्त)	41	21	62	03	03	06	68
9.	माध्यमिक विद्यालय (राजकीय)	—	01	01	01	02	03	04
10.	माध्यमिक विद्यालय (सहायता प्राप्त)	21	13	34	21	20	41	75
11.	माध्यमिक विद्यालय (मान्यता प्राप्त)	12	09	21	02	01	03	24
12.	महाविद्यालय (राजकीय)	—	—	—	01	01	02	02
13.	महाविद्यालय (सहायता प्राप्त)	—	—	—	06	02	08	08
14.	महाविद्यालय (मान्यता प्राप्त)	04	—	04	03	—	03	07
15.	प्राविधिक शिक्षण संस्थान	—	—	—	—	—	02	02
16.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	—	—	—	—	—	01	01
17.	शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	—	—	—	—	—	01	01
18.	नवोदय विद्यालय	—	—	01	—	—	—	01
19.	आंगनवाड़ी केन्द्र	—	—	356	—	—	—	356
20.	शिक्षा केन्द्र							
21.	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय	—	—	01	—	—	—	01

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1997

सारणी– 2.4

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	परिषदीय शासकीय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग
1	सदर	80	36	116
2	पुरकाजी	80		80
3	चरथावल	88		88
4	बघरा	79		79
5	शाहपुर	63		63
6	बुढाना	76		76
7	कांधला	97	12	109
8	कैराना	66	13	79
9	शामली	71	13	84
10	ऊन	152		152
11	थानाभवन	93		93
12	जानसठ	115		115
13	खतौली	130	9	139
14	मोरना	85		85
	योग	1275	81	1356

सारणी– 2.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	परिषदीय शासकीय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग
1	सदर	32	2	34
2	पुरकाजी	23	2	25
3	चरथावल	19		19
4	बघरा	30		30
5	शाहपुर	23		23
6	बुढाना	29		29
7	कांधला	32		32
8	कैराना	43	1	44
9	शामली	27	3	30
10	ऊन	30		30
11	थानाभवन	27		27
12	जानसठ	28		28
13	खतौली	29		29
14	मोरना	28		28
	योग	398	8	406

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) :

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नांकित है।

सारणी 2.6

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)
(30.09.2002 की स्थिति)

विद्यालय	सृजित पद	कार्यरत शिक्षक	रिक्त पद	स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	4860	3463	1397	841
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1101	843	258	—

सारणी 2.7

कार्यरत			अप्रशिक्षित		
पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
3110	1196	4306	84	15	97

सारणी 2.8

सेवित तथा असेवित बस्तियां (उच्च प्राथमिक स्तर)

विवरण	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध ग्राम / बस्तियों की संख्या	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध ग्राम / बस्तियों की संख्या	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों / बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	647	–	
ऐसे ग्रामों / बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	73	144	144

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन (6–11 वय वर्ग) की स्थिति –

जनपद मुजफ्फरनगर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विकास खण्डवार छात्र नामांकन की स्थिति 30 सितम्बर 2002 के अनुसार निम्नवत है–

सारणी 2.9

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति के छात्र			कुल नामांकन में परिषद का प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	ऊन	13221	10809	24038	2956	2529	5485	81.52
2.	थानाभवन	11567	9968	21536	2969	2648	5617	71.40
3.	शामली	7941	6928	14869	1805	1649	3454	84.52
4.	कैराना	14349	11091	25440	1033	828	1861	48.28
5.	चरथावल	14638	12055	26693	4237	3608	7845	82.84
6.	पुरकाजी	12339	10289	22628	3488	3141	6629	57.76
7.	मुजफ्फर नगर	14585	12552	27137	4139	3625	7764	69.50

8.	बघरा	17278	13884	31162	2591	2083	4674	64.52
9.	कांधला	12096	9820	21916	2295	2208	4503	88.40
10.	बुढाना	14581	10616	25197	2313	1970	4283	69.28
11.	शाहपुर	17840	14529	32369	2434	1827	4261	56.79
12.	मोरना	11888	9583	21471	3269	2679	5948	76.0
13.	जानसठ	12796	10542	23338	3146	2862	6008	82.0
14.	खतौली	16824	14591	31415	2523	2189	4712	69.24

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड कांधला में सर्वाधिक 88.40 प्रतिशत तथा विकास खण्ड कैराना में सबसे कम 46.29 प्रतिशत बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं।

सारणी 2.10

विद्यालयों मे भौतिक सुविधाएँ (परिषदीय विद्यालय)
(प्राथमिक स्तर)

क्र. सं.	मद	ग्रामीण	नगर	योग	कुल उपलब्ध कक्षा कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर, पुर्ननिर्माण	35	0	35	0
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	94	0	94	94
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	896	13	909	1818
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	234	07	241	723
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	104	02	106	424
	पाँच कक्षीय या पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	52	09	61	365
	योग	1259	31	1306	3724
3.	भौवालय विहीन विद्यालय	189	11	200	-

प्रति प्राथमिक विद्यालय 3 कक्षा कक्ष हेतु कुल माँग = 1306×3 = 4098

वर्तमान में उपलब्ध कक्षा कक्ष = 3724

अतिरिक्त कक्षों की कुल माँग = 4098-3724 = 374

सारणी 2.11
विद्यालयों मे भौतिक सुविधाएँ (परिषदीय विद्यालय)
(उच्च प्राथमिक स्तर)

क्रमांक	मद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर, पुर्ननिर्माण	–	–	–
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	–	–
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	–	–
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	284	01	285
	पाँच कक्षीय या पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	119	02	121
	योग	403	03	406

उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में चार कक्ष होने चाहिए जिसके आधार पर वर्तमान में जनपद मु० नगर में 4 कक्ष से कम वाला एक भी विद्यालय नहीं है। अतः उ0प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्ष की कोई माँग नहीं है।

सारणी 2.12
वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्रमांक	सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी0पी0ई0पी0/वित्त आयोग/जिला योजना/अन्य में प्रावधान	मांग	कमी	वित्त आयोग/जिला योजना/अन्य में प्रावधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	–	–	–	–	–	–
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	35	–	35	–	–	–
3.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (प्रति शिक्षक– एक कक्ष) एवं नामांकन वृद्धि	794	–	794	–	–	–
4.	पेयजल सुविधा	–	–	–	–	–	–
5.	शौचालय	200	–	200	–	–	–

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े एवं महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स

यह जनपद डी0पी0ई0पी0 III से आच्छादित है। जनपद के समस्त विकास क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं एवं आंकडों की स्थिति निम्नवत् है।

प्राथमिक विद्यालयों में गत 3 वर्षो की नामांकन की स्थिति

सारणी – 2.13

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	2000–2001	2001–2002	2002–2003
कक्षा – 1	106213	116663	121036
कक्षा – 2	100791	102217	104261
कक्षा – 3	85268	91653	98027
कक्षा – 4	67631	71411	73553
कक्षा – 5	53291	58327	60070
योग –	413194	442371	456947
जी0ई0आर0			
कुल	87	94	94.34
बालिका	88.54	91.79	93.38
एन0ई0आर0			
कुल	82.66	89.27	90.24
बालिका	78.97	86.81	87.43

जनपद के नामांकन में औसतन 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में भी प्रतिवर्ष प्रगति परिलक्षित हुई है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 कुल जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 की तुलना में कम है। अतः बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 में बढोत्तरी हेतु योजना में विशेष प्रयास किये गये हैं। यह भी महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है इससे पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ रही है।

डी0पी0ई0पी0 संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है –

सारणी – 2.14

	2001–2002	2002–2003	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1290	1356	5.1%
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	4078	4304	5.54%

दो वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में प्रयास हुए हैं।

ड्राप आउट दर प्राथमिक स्तर

जनपद में परिषदीय विद्यालयों में कुल ड्राप आउट दर 21.00 प्रतिशत है जिनमें बालकों का ड्राप आउट दर 19 प्रतिशत तथा बालिकाओं का ड्राप आउट दर 23 प्रतिशत है। अनु0जाति के बच्चों का ड्राप आउट दर 25 प्रतिशत तथा बालिकाओं का ड्राप आउट दर 26.00 प्रतिशत है।

सारणी · 2·2

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	ड्राप आउट दर(कुल)			ड्राप आउट दर अनुसूचित जाति		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	20	24	22	21	25	23
2	थानाभवन	19	21	20	20	24	22
3	शामली	17	20	19	19	23	21
4	कैराना	20	23	22	21	24	23
5	चरथावल	18	23	21	20	24	22
6	पुरकाजी	19	23	21	22	26	24
7	सदर	17	22	20	19	25	22
8	बघरा	18	22	20	21	24	23
9	कांधला	19	21	20	20	24	22
10	बुढ़ाना	17	21	19	21	25	23
11	शाहपुर	17	23	20	20	24	22
12	मोरना	19	23	21	21	25	23
13	जानसठ	20	25	23	22	26	24
14	खतौली	20	24	22	21	26	24
15	नगर क्षेत्र खतौली	18	22	20	20	24	22
16	नगर क्षेत्र कांधला	19	23	21	21	25	23
17	नगर क्षेत्र सदर	19	22	20	20	23	22
18	नगर क्षेत्र कैराना	20	23	21	21	24	23
19	नगर क्षेत्र शामली	20	23	21	21	25	23
	योग	19	23	21	[illegible]	26	[illegible]

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में लगातार कमी आयी है विगत 3 वर्षों में ड्रापॅआउट दर 33 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत हो गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि बालक एवं बालिकाओं की ड्रापॅआउट दर में अन्तर क्रमशः कम हो रहा है।

डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत नवनिर्मित विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षामित्र के पद सृजित हुए हैं। जिससे अध्यापक, छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। जो कि वर्तमान में 1 : 67 है जिसे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1 : 40 पर लाना होगा।

डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के फलस्वरूप छात्र, कक्षा–कक्ष अनुपात में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1 : 73 है इस निर्धारित मानक 1 : 40 पर लाने के लिये अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इन्डीकेटर्स

जनपद मुजफ्फरनगर

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

सारणी – 2.16

वर्ष	कक्षा –6	कक्षा –7	कक्षा –8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष % वृद्धि
2000–2001	12314	11879	10986	35179	4
2001–2002	13071	12867	11686	37624	6.5
2002–2003	13985	14455	12504	40944	7

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है जिसमें प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त विद्यालयों में छात्रों की ठहराव की दर में भी वृद्धि हुई है जिसका परोक्ष असर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में परिलक्षित हो रहा है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

सारणी – 2.17

वर्ष	कक्षा – 5	कक्षा – 6	ट्रांजिशन दर
2000–2001	40213	13071	47.60
2001–2002	42817	21836	51.3

सारणी से स्पष्ट है कि कक्षा 5 उत्तीर्ण लगभग आधे बच्चें कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्थिति का प्रमुख कारण निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न होना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

सारणी – 2.18

	संख्या – 1995	संख्या – 2002	वृद्धि प्रतिशत
उच्च प्राथमिक विद्यालय	183	336	67
उच्च प्राथमिक अध्यापक	548	843	52

सारणी – 2.19

प्राथमिक विद्यालय व उ0प्रा0विद्यालयों का अनुपात

	परिषदीय प्रा0 विद्यालय	परिषदीय उ0प्रा0 विद्यालय	मा0वि0 से सम्बद्ध उ0प्रा0वि0	योग (3 + 4)	प्रा0 वि0 अनुपात उ0प्रा0वि0
ग्रामीण क्षेत्र	1275	398	56	454	3.56 : 1
नगर क्षेत्र	81	8	49	57	1.42 : 1
योग	1256	406	105	511	3.76 : 1

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिससे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 3.76 : 1 है।

सारणी– 2.20

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2003–04 एक संकलन

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6–11 आयु वर्ग के बच्चे: कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			11–14 आयु वर्ग के बच्चे: कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	24356	18494	42850	22541	16893	39434	1815	1601	3416	9412	7179	16591	9195	6920	16115	217	[illegible]	426
2	थानाभवन	23340	19189	42529	21070	16984	38054	2270	2205	4475	7586	5823	13409	7267	5457	12724	319	[illegible]	685
3	शामली	15394	11742	27136	14861	10948	25809	533	794	1327	4384	3314	7698	4258	3166	7424	126	148	274
4	कैराना	14552	11062	25614	13885	10556	24441	667	506	1173	5794	8239	14033	5555	7841	13396	239	398	637
5	चरथावल	19010	15555	34565	17997	14637	32634	1013	918	1931	5629	4462	10091	5413	4238	9651	216	224	440
6	पुरकाजी	14962	12345	27307	13160	10959	24119	1802	1386	3188	6028	4470	10498	5702	4024	9726	326	446	772
7	सदर	26425	21760	48185	23575	19164	42739	2850	2596	5446	9836	7997	17833	8966	7138	16104	870	859	1729
8	बघरा	19208	15826	35034	18038	14329	32367	1170	1497	2667	7154	5437	12591	6873	5083	11956	281	354	635
9	कांधला	19088	13999	33087	18288	13574	31862	800	425	1225	6703	4601	11304	6554	4481	11035	149	120	269
10	बुढ़ाना	26758	22685	49443	24257	22284	46541	2501	401	2902	12079	9812	21891	11554	9487	21041	525	325	850
11	शाहपुर	17412	13585	30997	16230	12567	28797	1182	1018	2200	6894	5414	12308	6457	5047	11504	437	367	804
12	मोरना	20311	16175	36486	19298	15264	34562	1013	911	1924	6667	4730	11397	6353	4430	10783	314	300	614
13	जानसठ	23060	19404	42464	19927	16485	36412	3133	2919	6052	9931	8201	18132	9116	7282	16398	815	919	1734
14	खतौली	22361	17988	40349	20793	16742	37535	1568	1246	2814	9030	7132	16162	8662	6691	15353	368	441	809
15	नगर क्षेत्र खतौली	2946	2450	5396	2310	1936	4246	636	514	1150	1935	1714	3649	1891	1661	3552	44	53	97
16	नगर क्षेत्र कांधला	2902	2678	5580	2746	2438	5184	156	240	396	1023	863	1886	752	585	1337	271	278	549
17	नगर क्षेत्र सदर	12949	10846	23795	11824	10159	21983	1125	687	1812	6517	4912	11429	6435	4810	11245	82	102	184
18	नगर क्षेत्र कैराना	4575	3186	7761	3915	2630	6545	660	556	1216	2325	1870	4195	2260	1788	4048	65	82	147
19	नगर क्षेत्र शामली	9685	6102	15787	8904	5654	14558	781	448	1229	4712	3188	7900	4645	3106	7751	67	82	149
	योग	319294	255071	574365	293619	234203	527822	25675	20868	46543	123639	99358	222997	117908	93235	211143	5731	6123	[illegible]

छात्र नामांकन 6–11 व 11–14 वय वर्ग वर्ष 30 सितम्बर 2002

सारणी 2.21

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6 से 11 वय वर्ग की कुल छात्र संख्या			11 से 14 वय वर्ग की कुल छात्र संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	22851	16895	39746	8284	5976	14260
2	थानाभवन	23153	18617	41770	7334	5611	12945
3	शामली	15092	11503	26595	4297	3248	7545
4	कैराना	14516	10893	25409	5325	4405	9730
5	चरथावल	20156	16188	36344	6191	5041	11232
6	पुरकाजी	15164	12904	28068	5037	3878	8915
7	सदर	24939	20472	45411	8553	6686	15239
8	बघरा	19591	16048	35639	6838	4996	11834
9	कांधला	18482	13737	32219	6559	4502	11061
10	बुढ़ाना	21958	19834	41792	12156	10624	22780
11	शाहपुर	18661	14411	33072	6292	4909	11201
12	मोरना	19770	15761	35531	6503	4611	11114
13	जानसठ	23686	20133	43819	9913	8160	18073
14	खतौली	23432	19204	42636	8170	5812	13982
15	नगर क्षेत्र खतौली	2627	2138	4765	711	542	1253
16	नगर क्षेत्र कांधला	2532	1775	4307	730	562	1292
17	नगर क्षेत्र सदर	11320	9540	20860	5319	3742	9061
18	नगर क्षेत्र कैराना	3487	2185	5672	914	681	1595
19	नगर क्षेत्र शामली	9295	5760	15055	3010	2612	5622
	योग	310712	247998	558710	112136	86598	198734

छात्र नामांकन 11-14 वय वर्ग वर्ष 30 सितम्बर 2002

सारणी 2.22

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	11 से 14 वय वर्ग के कुल छात्र संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अन्य विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	8284	5976	14260	1821	827	2648	6463	5149	11612	0	0	0
2	थानाभवन	7334	5611	12945	1501	1216	2717	5833	4395	10228	0	0	0
3	शामली	4297	3248	7545	1517	1073	2590	2780	2175	4955	0	0	0
4	कैराना	5325	4405	9730	1772	1084	2856	3553	3321	6874	0	0	0
5	चरथावल	6191	5041	11232	1274	1157	2431	4917	3884	8801	0	0	0
6	पुरकाजी	5037	3878	8915	2037	919	2956	3000	2959	5959	0	0	0
7	सदर	8553	6686	15239	1474	1427	2901	7079	5259	12338	0	0	0
8	बघरा	6838	4996	11834	2217	1414	3631	4621	3582	8203	0	0	0
9	कांधला	6559	4502	11061	1745	1169	2914	4814	3333	8147	0	0	0
10	बुढाना	12156	10624	22780	1132	680	1812	11024	9944	20968	0	0	0
11	शाहपुर	6292	4909	11201	1108	781	1889	5184	4128	9312	0	0	0
12	मोरना	6503	4611	11114	1311	1133	2444	5192	3478	8670	0	0	0
13	जानसठ	9913	8160	18073	1440	1186	2626	8473	6974	15447	0	0	0
14	खतौली	8170	5812	13982	1176	940	2116	6994	4872	11866	0	0	0
15	नगर क्षेत्र खतौली	711	542	1253	72	56	128	639	486	1125	0	0	0
16	नगर क्षेत्र कांधला	730	562	1292	0	0	0	730	562	1292	0	0	0
17	नगर क्षेत्र सदर	5319	3742	9061	197	210	407	5122	3532	8654	0	0	0
18	नगर क्षेत्र कैराना	914	681	1595	0	51	51	914	630	1544	0	0	0
19	नगर क्षेत्र शामली	3010	2612	5622	72	227	299	2938	2385	5323	0	0	0
	योग	112136	86598	198734	21866	15550	37416	90270	71048	161318	0	0	0

(38)

छात्र नामांकन 6–11 वय वर्ग वर्ष 30 सितम्बर 2002

सारणी 2.23

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6 से 11 वय वर्ग की कुल छात्र संख्या			परिषदीय विद्यालयों में नामांकन			मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			अमान्य विद्यालयों में नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	22851	16895	39746	12967	9477	22444	8759	6558	15317	1125	860	1985
2	थानाधना	23153	18617	41770	6777	9024	15801	15113	8737	23850	1263	856	2119
3	शामली	15092	11503	26595	6384	5907	12291	7985	4955	12940	723	641	1364
4	कैराना	14516	10893	25409	7300	6015	13315	6474	4282	10756	742	596	1338
5	बरथावल	20156	16188	36344	8090	8749	16839	10971	6572	17543	1095	867	1962
6	पुरकाजी	15164	12904	28068	6345	6513	12858	7922	5771	13693	897	620	1517
7	सदर	24939	20472	45411	9894	12557	22451	13613	7056	20669	1432	859	2291
8	बघरा	19591	16048	35639	8206	7781	15987	10131	7731	17862	1254	536	1790
9	कांधला	18482	13737	32219	10449	8849	19298	7028	4213	11241	1005	675	1680
10	बुढाना	21958	19834	41792	9194	7786	16980	11379	11091	22470	1385	957	2342
11	शाहपुर	18661	14411	33072	7235	6756	13991	10296	6930	17226	1130	725	1855
12	मोरना	19770	15761	35531	8492	7741	16233	10183	7267	17450	1095	753	1848
13	जानसठ	23686	20133	43819	7501	7146	14647	14730	12113	26843	1455	874	2329
14	खतौली	23432	19204	42636	8655	6503	15158	13419	11810	25229	1358	891	2249
15	नगर क्षेत्र खतौली	2627	2138	4765	666	761	1427	1835	1302	3137	126	75	201
16	नगर क्षेत्र कांधला	2532	1775	4307	809	284	1093	1580	1405	2985	143	86	229
17	नगर क्षेत्र सदर	11320	9540	20860	1341	2208	3549	9355	6875	16230	624	457	1081
18	नगर क्षेत्र कैराना	3487	2185	5672	1587	622	2209	1742	1480	3222	158	83	241
19	नगर क्षेत्र शामली	9295	5760	15055	1237	1017	2254	7561	4385	11946	497	358	855
	योग	310712	247998	558710	123129	115696	238825	170076	120533	290609	17507	11769	29276

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन

सारणी- 2.24

जनपद का नाम	6 से 11 वय वर्ग बच्चो की संख्या			6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चो की संख्या			स्कूल चलो अभियान से पूर्व नामांकन			30/7/2003 तक नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
मुजफ्फरनगर	319294	255071	574365	25675	20868	46543	293619	234203	527822	311811	251026	562837

सारणी–2. 25

विकास खण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात 2003–04 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1	ऊन	152	19595	265	70
2	थानाभवन	93	15377	179	86
3	शामली	71	12566	242	52
4	कैराना	66	11777	182	65
5	चरथावल	66	16775	232	72
6	पुरकाजी	80	13181	173	76
7	सदर	80	18866	302	62
8	बघरा	76	15908	233	68
9	काधला	97	19374	332	58
10	दुढाना	76	17421	251	69
11	शाहपुर	63	14119	176	80
12	मोरना	65	16326	203	80
13	जानसठ	115	14027	214	66
14	खतौली	130	17044	300	57
15	नगर क्षेत्र खतौली	9	1420	25	57
16	नगर क्षेत्र काधला	12	1213	31	39
17	नगर क्षेत्र सदर	36	4287	72	60
18	नगर क्षेत्र कैराना	13	2315	30	77
19	नगर क्षेत्र शामली	14	2812	21	134
	योग	1356	234403	3403	67

सारणी–2.16

विकास खण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात 2003–04 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	विद्यालय की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	अनुपात
1	ऊन	30	1623	46	35
2	थानाभवन	27	2348	62	37
3	शामली	27	1699	87	19
4	कैराना	40	2556	60	[illegible]
5	चरथावल	19	2146	39	55
6	पुरकाजी	23	2549	36	70
7	सदर	33	2461	97	25
8	बघरा	30	3651	105	35
9	कांधला	32	2959	71	42
10	बुढ़ाना	29	1793	49	37
11	शाहपुर	23	1869	52	36
12	मोरना	28	2276	35	65
13	जानसठ	28	2390	24	28
14	खतौली	29	1882	50	38
15	नगर क्षेत्र खतौली	2	842	6	140
16	नगर क्षेत्र कांधला	0	0	0	0
17	नगर क्षेत्र सदर	2	528	5	105
18	नगर क्षेत्र कैराना	4	126	9	31
19	नगर क्षेत्र शामली	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	योग	408	34242	[illegible]	41

सारणी 2.17

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (2003 की स्थिति)

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	1815	1601	3416	217	259	476
2	थानागाजन	2270	2205	4475	319	366	685
3	शामली	533	794	1327	126	148	274
4	कैराना	662	506	1168	239	398	637
5	चरथावल	1013	918	1931	216	224	440
6	पुरकाजी	1802	1386	3188	326	446	772
7	सदर	2850	2596	5446	870	859	1729
8	बघरा	1170	1497	2667	281	354	635
9	कांधला	801	425	1226	149	120	269
10	बूढाना	2501	401	2902	525	325	850
11	शाहपुर	1182	1018	2200	437	367	804
12	मोरना	1013	911	1924	314	300	614
13	जानसठ	3133	2919	6052	815	919	1734
14	खतौली	1568	1246	2814	368	441	809
15	नगर क्षेत्र खतौली	636	514	1150	37	53	90
16	नगर क्षेत्र कांधला	160	240	400	273	278	551
17	नगर क्षेत्र सदर	1125	687	1812	87	102	189
18	नगर क्षेत्र कैराना	660	556	1216	65	82	147
19	नगर क्षेत्र शामली	781	448	1229	67	82	149
	योग	25675	20868	46543	5731	6123	11854

सारणी 2.25

जी0 ई0 आर0 एवं एन0 ई0 आर0 उच्च प्राथमिक स्तर

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक (जी0 ई0 आर0)			शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0 ई0 आर0)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	ऊन	97.6	96.39	97.13	91.8	90.3	91.05
2	थानाभवन	95.79	93.71	94.89	91.7	88.5	90.1
3	शामली	97.12	95.53	96.44	94.1	92.5	93.3
4	कैराना	95.87	51.83	69.91	91.6	48.6	70.1
5	चरथावल	96.16	94.97	95.56	89.2	91.8	90.5
6	पुरकाजी	94.59	94.5	94.54	91.5	90.8	91.2
7	सदर	94.59	94.5	94.54	91.32	92.3	91.8
8	बघरा	91.15	89.25	90.2	87.15	86.25	84.47
9	कांधला	96.07	97.16	96.62	93.02	94.52	93.78
10	दुढाना	97.8	97.39	97.6	87.4	86.8	87.1
11	शाहपुर	93.67	93.22	93.45	83.4	82.8	86
12	मोरना	95.29	93.66	94.48	91.06	89.85	90.45
13	जानसठ	91.79	88.79	90.29	84.63	81.53	83.08
14	खतौली	95.92	93.82	94.86	92.8	91.71	92.26
15	नगर क्षेत्र खतौली	98.08	98.89	98.48	93.02	91.45	92.24
16	नगर क्षेत्र कांधला	73.51	67.79	70.69	70.02	92.46	68.23
17	नगर क्षेत्र सदर	98.74	97.92	98.33	87.42	89.56	88.49
18	नगर क्षेत्र कैराना	97.2	95.61	96.4	88.2	91.03	89.62
19	नगर क्षेत्र शामली	98.58	97.43	98.01	91.48	90.32	90.9
	योग	95.26	93.33	94.34	90.24	[illegible]	[illegible]

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने सम्बन्धी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है. इसका उद्देश्य 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयास किये जायेंगे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिन्में ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सूक्ष्य नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी। इस जनपद में सर्व प्रथम 1998–99 में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से

वस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके आवश्यकताओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई। सूक्ष्म नियोजन द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई।

1. ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
2. विद्यालय/अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
5. यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है ?
6. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
7. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है?
8. यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव है?
9. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है ?
10. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
11. शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।
12. बालिका शिक्षा के बारे में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1 परिवार सर्वेक्षण

2. स्कूल का मानचित्रण / शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षक / शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूह द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी।

1. बस्ती की पूरा जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या

4 पढने व न पढने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्य, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं का [illegible] हुए [illegible] बस्तियों के विवरण को संकलित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि वस्तुपरक शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो

सके। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हे ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाव तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आकडे एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी का आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकसखण्ड वार संकलित किया गया 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–11 वर्ष 11–14 वर्ष समूह में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सडक छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रन) है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकडो के आधार पर बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं, उन बस्तियो की सूची भी तैयार की गयी जिसमे शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

सारणी – 3.1

विद्यालय न जाने वालें बालक बालिकाएं

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6–11 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले			11–14 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऊन	837	1297	2134	1561	1586	3147
2.	थानाभवन	407	514	1921	1211	1263	2474
3.	शामली	907	916	1523	1173	1144	2317
4.	कैराना	947	1034	1981	1492	1575	3067
5.	चरथावल	876	901	1777	1081	1132	2213
6.	पुरकाजी	1078	1085	2163	1098	1119	2217
7	मुजफ्फरनगर	968	929	1897	971	1045	2016
8.	बघरा	1043	924	1967	1407	1504	2911
9.	कांधला	1231	1232	2463	1367	1450	2817
10.	बुढ़ाना	574	560	1134	1257	1396	2653
11.	शाहपुर	507	516	1023	1137	1221	2358
12.	मोरना	971	1125	2096	1471	1623	3094
13	जानसठ	566	639	1207	1187	1285	2472
14.	खतौली	857	854	1711	1367	1426	2793
	योग	11771	13526	[illegible]	17760	1876[illegible]	[illegible]
15.	नगर	1621	1308	2929	1211	1337	[illegible]
	महायोग	13392	14834	[illegible]	18991	2010[illegible]	[illegible]

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के समग्र विकास की आधारशिला है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन-जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में 2001 से पूर्व यद्यपि बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापरक बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा आदि अनेक परियोजनाये चलायी गयी पर वे अपने उद्देश्य मे कतिपय कारणो से पूर्णतः सफल नही हो सकी। वर्तमान में भी जनपद में "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" वर्ष 2000-2001 से संचालित है। विश्व बैंक पोषित इस योजना का लक्ष्य पांच वर्ष मे 6-11 वय वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन व विद्यालय के भौतिक वातावरण का सुधार कर बेसिक शिक्षा का गुणवत्ता संवर्धन करना है। यह योजना मात्र 6-11 वय वर्ग के बच्चो के लिए है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र सीमित है।

'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' का वृहद स्वरूप 'सर्व शिक्षा अभियान' है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6-14 वय वर्ग के बच्चो को उपयोगी, गुणवत्तापरक तथा व्यवहारिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के द्वारा ऐसा शैक्षिक नियोजन व प्रबन्धन करना है जिससे समाज मे बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूकता व जिम्मेदारी की भावना का विकास हो। सरकार के सत्ता-विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिससे पंचायती राज संस्थाओं की इस योजना मे भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं सेवको, कलाकारों, महिला, संगठनो आदि को सम्मिलित कर उत्तरदायित्व के क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

उपरोक्त कारकों को ध्यान मे रखते हुए 'सर्वशिक्षा अभियान' की दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक कार्य योजना के नियोजन कार्य की शुरुआत दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 2001 को इलाहाबाद मे सीमेट (State Institute for Education Management and Training) मे आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी द्वारा हुई। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपलेखाधिकारी (डी०पी०ई०पी०), एक प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य व उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। सर्वशिक्षा अभियान योजना के जिला स्तरीय नियोजन के समस्त बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश देते हुए व्यापक चर्चा की गयी। इस गोष्ठी का संचालन बेसिक शिक्षा श्री मेवाराम निदेशक सीमेट श्री कृष्णमोहन त्रिपाठी व निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० श्री भारतेन्दु ने संचालित किया।

सीमेट इलाहाबाद मे आयोजित गोष्ठी से प्राप्त मार्ग निर्देशन के अनुपालन में जनपद मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिन्हे योजना निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

जनपद पर कार्ययोजना निर्माण हेतु गठित समिति

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पद नाम
1	श्री रविदत्त	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर
2	श्री संजय कुमार शर्मा	सहायक लेखा अधिकारी (डी०पी०ई०पी०)
3	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	जिला समन्वयक
4	श्री महीपाल सिंह	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
5.	श्री शिवकुमार	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
6.	श्री योगेश यादव	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
7.	श्री प्रकाश चन्द	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक

तथा उक्त समिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा प्रवक्ता श्री रहमान को नामित किया गया। समिति के समस्त सदस्य प्रतिदिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ विचार विमर्श एवं प्रगति की समीक्षा करते थे। निर्माण की गयी योजना की जांच व आवश्यक दिशा-निर्देश देने हेतु पुनः सीमेट मे एक कार्यशाला दिनांक 10 व 11 दिसम्बर को आहूत की गयी। जिसमे जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी तथा दो प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रमो की लागत एवं वर्षवार सारणी के माध्यम से समझाया गया। एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया जिसमें मात्रिक_संख्या भरने के बाद समस्त सारणी गणना सहित प्राप्त होती है।

अधिकांश पूर्व संचालित कार्यक्रमों की सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि इनके नियोजन की प्रक्रिया या तो उपर से थोप दी गयी या जनपद स्तर पर किंचित लोगों के पारस्परिक विचार--विमर्श से निर्मित की गयी; फलतः लक्ष्य दूर होता चला गया. ऐसी स्थिति मे यह अनुभव किया जाना स्वाभाविक हो गया कि नियोजन की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर उपर तक जाये और नियोजन की प्रक्रिया निम्नतम स्तर, बस्ती, ग्रामों के लोगों विशेषतः अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि से वैचारिक परामर्श कर बनाई जाए।

इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्थक एवं सफल बनाने के उददेश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से ग्राम/बस्ती स्तर पर योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात् विकास खण्ड और जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को विद्यालय लाया जा सके। जिले में परियोजना नियोजन हेतु –

1– ग्राम/बस्ती में फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया तथा अध्यापकों द्वारा घर–घर जाकर प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया।

2– विकास खण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा बाल गणना से प्राप्त आकड़ों का संकलन व सारिणीकरण किया गया।

3– जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया तथा विकास खण्डों से प्राप्त आकड़ों से सम्पूर्ण जनपद के आकड़ों का संकलन व सारिणीकरण किया गया।

बिन्दु एक और दो के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष तथा क्षेत्र विशेष की बुनियादी शिक्षा से संबंधित समस्यायें उभरकर आ सकें और उन्हीं के प्रयास से समस्याओं का समाधान ढूँढा जा सके।

प्री–प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में एन.पी.आर.सी. तथा प्रधानाध्यापकों के माध्यम से यह सन्देश पहुँचाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान पूर्णतः सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करता है। यह योजना गाँव/बस्ती की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम समाज के सहयोग से तैयार की जानी है।

योजना के क्रियान्वयन व मूल्यांकन में भी ग्राम समाज का सक्रिय सहयोग रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं को इस अभियान में पर्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे। स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के वंचित वर्ग के लोगों तथा महिलाओं को इस अभियान से जोडने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

तत्पश्चात् प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम पंचायत सदस्यों, छात्रों के अभिभावकों, नवयुवक मंगल दल व अन्य समाजसेवी लोगों की बैठक आयोजित की गयी। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में ग्राम/बस्ती विशेष की बुनियादी शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं, समस्याओं व उनके निराकरण के संबंध में व्यापक चर्चा की गयी। इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि समाज के विभिन्न अंग विशेषकर महिलायें अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में सरकार से क्या अपेक्षा रखते है। वे किस प्रकार से इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान कर सकते है। ग्राम पंचायत स्तर पर 445 तथा न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार की 112 बैठक आयोजित की गयी। इन बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में जो समस्यायें मुख्य रूप से उभर कर सामने आयी, वे निम्न प्रकार है --

1 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी।

2 विद्यालय भवन का पर्याप्त न होना।

3-- विद्यालय में भौतिक सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल फर्नीचर आदि का अभाव।

4 अध्यापकों का अन्य सरकारी कार्यों जैसे पल्स पोलियो, जनगणना चुनाव आदि में व्यस्त रहना।

5-- विद्यालयों में अवकाशों की अधिकता

6-- अध्यापकों द्वारा अध्यापन में अरूचि।

7 -- उबाऊ व नीरस तरीकों से अध्यापन।

8 गाँवों में व्याप्त गरीबी के कारण बच्चों को कम उम्र में ही किसी काम-धंधे में लगाना।

9-- समाज के कुछ वर्गों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।

इसी प्रकार समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस अभियान में सम्मिलित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त 14 विकासखण्डों में ब्लाक स्तर की बैठकें आयोजित की गयी। इन गोष्ठियों में खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधानों तथा जनप्रतिनिधियो जैसे जिला पचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सहायक आदि ने सक्रिय सहभाग किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में आयोजित इन गोष्ठियों मे भी प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में वांछित परिवर्तन व सुधार, प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओ व समस्याओ के निराकरण की रणनीतियों पर विचार–विमर्श किया गया। इस श्रृखला के अंत में जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग, पचायत राज विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सूचना विभाग आदि के उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों आदि का सहभाग भी उल्लेखनीय रहा।

नियोजन प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता के उद्देश्य से विभिन्न स्तरो पर आयोजित इन गोष्ठियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0	स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	विचार–विमर्श में उभरे बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण
1	न्याय पचायत	20 11 01	रई (सदर)	ग्राम प्रधान, क्षेत्र पचायत सदस्य, न्याय पचायत समन्वयक, प्रधानाध्यापक अभिभावक आदि।	1 छात्र संख्या के अनुरूप अध्यापक नियुक्त किये जाये। 2 प्रत्येक विद्यालय की चहारदीवारी की जाये। 3 छात्रवृत्ति वितरण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाये जिससे छात्रवृत्ति प्राप्त कर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। 4 हर विद्यालय मे प्रधानाध्यापक नियुक्त होना चाहिए।

					5. अध्यापकों व अभिभावकों में निरन्तर सम्पर्क रहना चाहिये। 6. विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति विशय के अनुरुप हो।
2.	ब्लाक स्तर	21.11.01	सहावली (सदर)		1. छात्रों में रुचि जाग्रत करने हेतु विद्यालय में समय समय पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हों। 2. छात्रवृत्ति नकद धन के रूप में न देकर वर्दी व पुस्तकों के रूप में दी जाय। 3. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग मौचालय की सुविधा हो। 4. प्रत्येक माह अध्यापक अभिभावक गोश्ठी आयोजित हो। 5. प्रत्येक विद्यालय में सहायक शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में हो। 6. [illegible] अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाये।
3.	नगर पंचायत स्तर	21.11.01	दूधली (कस्बा...)	ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत समन्वयक, छात्रों के अभिभावक,	1. प्रत्येक कक्षा के लिए अलग कक्ष होना चाहिये। 2. प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक अवश्य हो। 3. अध्यापक की तैनाती [illegible]

				क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक	आवास के निकट हो। जिससे वह समय पर विद्यालय मे उपस्थित हो सके। 4 अध्यापक से शिक्षणेत्तर कार्य न लिये जाये। 5. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक महिला अध्यापक अव य नियुक्त हो। 6. प्रत्येक विद्यालय मे शौचालय, चहारदीवारी, पेयजल आदि की उचित व्यवस्था की जाये जिससे बच्चों को परे शानी न हो।
4.	ब्लाक स्तर	22.11.01	चरथावल	ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान।	1. विद्यालय भवन सभी भौतिक सुविधो युक्त हो। 2 प्रत्येक विद्यालय की चहारदीवारी हो जिस पर कंटीले तार लगे हो। 3 छात्र अध्यापक अनुपात 1 : 40 करने के लिए अध्यापको की भर्ती की जानी चाहिये। 4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर लिपिक की नियुक्ति की जानी चाहिये। 5. अध्यापक अभिभावक संवाद निरन्तर बने रहना चाहिये। 6. बच्चों को पोशाहार योजना के अन्तर्गत अनाज न देकर मध्यान्ह

					अल्पाहार देना चाहिये। 7. सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण द्वारा अध्यापकों को शिक्षण की नयी विधियों से परिचित कराया जाये।
5.	न्याय पंचायत स्तर	20.11.01	धुमावटी (पुरकाजी)	ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, सहा0 अध्यापक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक आदि	1. विद्यालय भवन की मरम्मत आवश्यकता। 2. अध्यापकों की कमी होना। 3. छात्रवृत्ति सभी वर्गों व जाति के छात्रों को देने की माग की गयी। 4. छात्रवृत्ति या पोशाहार प्राप्त कर विद्यालय से पलायन करने वाले छात्रों को घर–घर जाकर वापस लाने के प्रयास करने पर बल। 5. अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य न लेने की माग की गयी।
6	ब्लाक स्तर	22.11.01	पुरकाजी	ब्लाक प्रमुख, जिला समन्वयक प्रति, उप विद्यालय निरीक्षक, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक	1 विद्यालय भवन आकर्षक [illegible] 2. छात्र संख्या के अनुरूप [illegible] अध्यापकों की व्यवस्था [illegible] 3. छात्रवृत्ति [illegible] के अन्त में हो। 4. अध्यापकों से शिक्षण [illegible] अतिरिक्त अन्य कार्य न [illegible] जाय। 5 महिला अध्यापकों में [illegible] की भावना [illegible]

				आदि।	उन्हें अपने गाँव में या निकट के गाँव में नियुक्त किया जाना चाहिये।
7	न्याय पंचायत स्तर	20.11.01	बघरा	न्याय पंचायत समन्वयक, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानाध्यापक, सहा0 अध्यापक, अभिभावक।	1. बड़े गाँवों में दो प्राथमिक विद्यालय खोले जाये। 2. अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए वि ोश प्रयत्न हो। 3. राजनीतिक दबाव में अध्यापकों के स्थानान्तरण पर रोक लगे। 4. अध्यापक ि ाक्षण से अतिरिक्त कार्य विद्यालय समय में न करे।
8.	ब्लाक स्तर	22.11.01	बघरा	ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, ज्येष्ठ उप ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लाक समन्वयक।	1. गरीबी के कारण बालिकाओं का गृह कार्य में संलग्न होना। 2. गरीब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें न होना। 3. विद्यालय का नीरस वातावरण। 4. बच्चों की रुचि के अनुसार ि ाक्षा का अभाव। 5. विद्यालय में भौतिक साज-सज्जा व सहायक ि ाक्षण सामग्री का अभाव है। 6. अभिभावकों का अपने बच्चों की ि ाक्षा के प्रति उदासीन होना।
9	न्याय पंचायत	21.11.01	ककरौली (मीरना)	न्याय पंचायत समन्वयक,	1. ग्रामीण विद्यालयों में समुचित सुविधा न होने के कारण बच्चों की

	स्तर			ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, सहा0 अध्यापक, अभिभावक ।	व्यवस्था नही की जा सकती। इसलिये बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए भवन की छते पर्याप्त ऊचाई पर होनी चाहिये। 2. विद्यालयों में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि निरन्तर मंगायी जाये। जिससे अध्यापको व छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो सके। 3. माह मे एक बार अध्यापक–अभिभावक गोश्ठी होनी चाहिये। 4. प्रत्येक विद्यालय की चहारदीवारी होनी चाहिये।
10.	ब्लाक स्तर	22.11.01	भोपा (मोरना)	भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, जिला पचायत सदस्य, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी	1. अध्यापक गृह स्थान से दूर नियुक्त न किया, जाये। 2 अध्यापको का समय–समय पर प्रशिक्षण हो। 3 ग्राम प्रधान अनपढ या कम पढे–लिखे होने के कारण शैक्षिक कार्यों मे सहयोग नही दे पाते। 4. छात्र वृत्ति नकद न दी जाये इसके स्थान पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, अन्य शिक्षण सामग्री व वर्दी आदि उपलब्ध कराये।
11.	ब्लाक स्तर	21.11.01	मीरापुर (जानसठ)	ब्लाक प्रमुख, सहा0 विकास अधिकारी, पूर्व	1 प्रत्येक ग्राम मे कम से कम प्राथमिक विद्यालय की सुविधा हो। 2 अल्पसंख्यक वर्ग की

				नगर पंचायत अध्यक्ष, मीरापुर अध्यक्षा महिला सेवा समिति, सुपरवाईजर साक्षरता अभियान।	वालिकाएं जो किसी कारणव [illegible] विद्यालय न जा सकी हो उनके लिए [illegible] क्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। 3. ईट–भट्टों व कोल्हुओं में कार्यरत मजदूर परिवारो के बच्चो के लिए भी [illegible] क्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। 4. विद्यालयों का सतत् निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाये। 5. [illegible] क्षा विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के लिए कार्यालय व वाहन की उचित व्यवस्था की जाये। जिससे निरीक्षण प्रभावी हो सके।
12	ब्लाक स्तर	26 11 01	बुढाना	ब्लाक प्रमुख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक [illegible] शामली, पुलिस क्षेत्राधिकारी, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलने चाहिये। 2. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की माग। 3. प्रत्येक विद्यालय की चहारदीवारी हो। 4. [illegible] किया जाये। 5. प्रत्येक विद्यालय में [illegible] का निर्माण किया जाये।

				विद्यालय निरीक्षक।	
13	ब्लाक स्तर	21.11.01	कांधला	ब्लाक प्रमुख, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, ग्राम प्रधान, अभिभावक, अध्यापकगण।	1. समाज की बदलती परीस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों परिवर्तन न किया जाये 2. अध्यापकों का अभाव है उन्हे भी शिक्षणेत्तर कार्यो से सम्बद्ध कर दिया जाता है।
14	ब्लाक स्तर	22.11.01	कैराना	ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी	1. सभी मजरो व बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो। 2. बालिकाओं के विद्यालय मे नामांकन के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये। 3. अभिभावकों से निरन्तर सम्पर्क रखा जाये। 4. छात्रो का ड्रापआउट कम करना चाहिये।
15	ब्लाक स्तर	23.11.01	थानाभवन	खण्ड विकास अधिकारी सहा0 बेसिक शिक्षा	1. शिक्षा मे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण शिक्षा के स्तर मे गिरना। 2. ग्राम शिक्षा समिति को बजट

				अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान	प्रति माह हो। 3. मदरसा की ओर से बालिका शिक्षा हेतु जिम्मेदारी निश्चित की जाये। 4. भट्टों व गन्ना क्रेशरों पर मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो।
16	ब्लाक स्तर	21.11.01	थानाभवन	खण्ड विकास अधि0 सहा0 विकास अधि0, सहा0 बेसिक शिक्षा अधि0, अध्यक्ष प्रा0 शिक्षक संघ, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक	1. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। 2. राजनैतिक हस्तक्षेप कम करने के लिए अध्यापकों की तैनाती उनकी तहसील से बाहर की जाये। 3. अल्पसंख्य बाहुल्य ग्रामों में बालिका शिक्षा हेतु उसी ग्राम की महिला को नियुक्त किया जाये। 4. प्रत्येक विद्यालय समस्त भौतिक सुविधाओं से लैस किया जाये। 5. बालिकाओं को सिलाई--कढ़ाई आदि जीवनोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
16	जिला स्तर	06.12.01	विकास भवन मु0नगर	जिला अधिकारी, मु0 वि0 अधिकारी, [illegible] (प्रा0शि0), [illegible]	1. 1 : 40 अनुपात के आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों का समान [illegible] किया जाये। 2. हर कस्बे में मानक दूरी के [illegible]

				बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहा० स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त एस०डी०आई०, उप लेखा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक (अ०स०ई०सी०)	अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। 3 हर प्राथमिक विद्यालय में ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना की जाये। जिन विकास क्षेत्रों में यह सुविधा बाल विकास परियोजना के द्वारा दी जा रही है। उनसे इतर विकास क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा विभाग यह सुविधा उपलब्ध कराये। 4 बालिका शिक्षा के प्रति समाज को जागरुक बनाने के लिए जन–जागरण अभियान चलायें जायें। जिनमें रैलियों, नुक्कड़–नाटकों, बैनर–पोस्टर तथा सगोष्ठियों के द्वारा जन–सामान्य के सोच में बदलाव लाया जाये। 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायें। जिससे अभिभावकों में बालिका सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। 6 नवीन विद्यालयों को स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों पर पहले आरम्भ किया जाये [illegible]

					है।

स्कूल चलो अभियान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जुलाई माह में 'स्कूल चलो अभियान' चलाया गया। इसके संदर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 29.6.2001 को 'स्कूल चलो अभियान' को सफल बनाने के उद्देश्य से एक बैठक आहूत की गयी जिसमें शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, चिकित्सा विभाग, रोटरी क्लब के पदाधिकारी, अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी व प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। इसका प्रथम चरण 1 जुलाई से 9 जुलाई तक तथा द्वितीय चरण 10 जुलाई से 15 जुलाई 2001 तक चलाया गया।

प्रथम चरण

स्कूल चलो अभियान के प्रथम चरण में वातावरण सर्जन, जन-जागरूकता व बच्चों के नामांकन का कार्य किया गया। जनपद स्तर व ब्लाक स्तर पर स्कूली बच्चों द्वारा

रैलियाँ निकाली गयी। प्रत्येक ग्राम मे स्कूली बच्चों ने एक जुलाई से 9 जुलाई तक प्रभात फेरी निकाली जिसमे गाँव के गणमान्य व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया। इससे समाज मे बच्चों की शिक्षा के प्रति एक वातावरण तैयार करने मे सहायता मिली। साथ ही साथ अध्यापकों ने पूरे मनोयोग से घर--घर जाकर सर्वेक्षण किया जिसके द्वारा प्रत्येक ग्राम मे बस्ती के 6 14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया गया। तत्पश्चात इन बच्चों को 6 11 व 11 14 वय वर्ग मे बाँटकर स्कूल जाने वाले व स्कूल न जाने वाले बच्चों की जानकारी प्राप्त की गयी।

द्वितीय चरण

स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण मे स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन के लिए प्रयास किये गये। इसके लिए अध्यापकों ने स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उसे बच्चे के स्कूल मे नामांकन हेतु प्रेरित किया। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों मे उर्दू अध्यापकों का सहयोग लिया गया। न्याय पंचायत स्तर पर इस चरण का पर्यवेक्षण न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा किया गया। विकास खण्ड स्तर तथा जनपद स्तर के अधिकारियों ने भी समय--समय पर भ्रमण कर नामांकन चरण की प्रगति का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम मे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से भी सहायता ली गयी। उन्हें बच्चों को स्कूल न भेजने वाले अभिभावकों से सम्पर्क कर समझाने के लिए कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप नामांकन मे पर्याप्त वृद्धि हुई ।

न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चों मे से अवशेष बच्चों की संख्या को घटाते हुए नामांकन का कार्य 31 जुलाई तक किया गया, जिसके फलस्वरूप विद्यालय न जाने वाले 6 14 वय वर्ग के कुल 59879 बच्चों मे से 56657 का नामांकन किया गया। इस प्रकार अब भी 6--14 वय वर्ग के 1245 बालक तथा 1977 बालिकायें स्कूल न जाने वालों की श्रेणी मे है। इनमे अधिकांश विकलांग, घुमन्तु परिवारों के या वे बच्चे है जो अपने माता पिता के साथ मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्रों मे पलायन कर गये है। जिन पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

स्कूल चलो अभियान प्रगति

वय वर्ग	कुल बाल गणना			उपलब्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
8-11 वय वर्ग	263539	207068	470660	247698	194673	442371
11-14 वय वर्ग	121633	96569	217202	99739	78366	178105

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है, यह अभियान केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना के रुप में चलाया जा रहा है, नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का अनुपात 85 : 15, दशम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत अनुपात 75 : 25 तथा इसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50 : 50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य रुप से निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक अधिकतम उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों वैकल्पिक विद्यालय, वापस विद्यालय चलो कैम्प आदि में नामांकन कराना।
3. 2001 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी बच्चों की पूरी कराना।
4. 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सभी बच्चों की पूरी कराना।
5. जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर तक 2007 तक तथा उच्च स्तर तक 2010 तक समाप्त करना।
6. 2010 तक शत–प्रतिशत धारण (Retention) के लक्ष्य को प्राप्त करना।

उक्त वृहद लक्ष्यों के अतिरिक्त जनपद के लिए विशिष्ठ लक्ष्य भी निर्धारित किये गये है जिनका विवरणर आगें पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

जनगणना 2001 के जनपद मुजफ्फरनगर के आंकडे अभी तक प्राप्त नही हुए है। अतः जनगणना 1991 के आंकडों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि 'कम्पाउन्ड रेट ऑफ ग्रोथ मैथड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर

2.4% ज्ञात की गयी है, इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2001–2007 तक प्रत्येक वर्ष की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयु वर्गवार जनसंख्या के आंकडे उपलब्ध न होने कारण जनगणना 1991 की आयु वर्ग वार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6 -- 11 वय वर्ग की बाल गणना ज्ञात करने के लिये 13 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है तथा 11 – 14 वय वर्ग की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये 6 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ठ आंकडे उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जायेगा।

सारणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			G.E.R.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001–2002	263539	207068	470607	247698	194673	442371	94
2002–2003	268811	211208	480019	268811	211208	480019	100
2003–2004	274187	215433	489620	287836	226205	514101	105
2004–2005	279671	219741	499412	304841	239518	544359	109
2005–2006	285264	224136	509400	316643	248791	565434	111
2006–2007	290969	228619	519588	328795	258339	587134	113

सारणी – 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्श	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			G.E.R.
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001–2002	121633	95569	217209	99739	78367	178106	82
2002–2003	124066	97480	221546	106696	83833	190529	86
2003–2004	126546	99431	225977	113892	89487	203379	90
2004–2005	129078	101419	230497	121333	95334	216667	94
2005–2006	131659	103447	235106	127709	100344	228053	97
2006–2007	134293	105516	239809	134293	105516	239809	100

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए इनरोलमेन्ट रेशो मैथड़ (Enrolment Ratio Method) से 2001 से 2007 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ग विशेष हेतु प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि कुल नामांकन में कुछ अधिक आयु व कम आयु के बच्चे भी होंगे इसलिए, जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2007 के बाद वृद्धि कम होगी क्योंकि आयु वर्ग के अनुरूप ही बाल संख्या की बढोत्तरी नामांकन में भी होगी।

ठहराव के लक्ष्य –

सर्व शिक्षा अभियान में जनपद की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्राप आउट का लक्ष्य रखा गया है। जनपद के तीन विकास खण्डों सदर/मोरना, परकाजी के पांच–पांच विद्यालयों के आंकड़े एकत्र किये गये तथा उनके विश्लेषण के पश्चात उच्च प्राथमिक व प्राथमिक का ड्राप आउट ज्ञात किया गया तदनुसार उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्तर पर 'ड्रापआउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं –

सारणी 4.3

ड्रापआउट की दर

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर
2000–2001	33	16
2001–2002	27	14
2002–2003	21	11
2003–2004	16	10
2004–2005	11	08
2005–2006	6	06
2006–2007	3	03
2007–2008	0	02
2008–2009	0	01
2009–2010	0	00

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्रापआउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक 3 वर्ष पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर का ड्रापआउट ज्ञात करने हेतु (कोहार्ट) रटड़ी करायी जायेगी।

अध्याय–5

समस्याएं एवं रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से पूर्व जनपद में ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर एवं जिला स्तर पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों एवं भौगोलिक स्थिति के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित नीति बनाई गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति, नये भवनों का निर्माण जीर्ण– शीर्ण भवनों की मरम्मत, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, हैण्ड पम्प एवं शौचालयों का निर्माण और विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा इनके ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

समस्याएं	*रणनीति*
1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, ए0एन0एम0, कला जत्था, जन सम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों एवं जागरूक व्यक्तियों की सहभागिता के लिये अपेक्षित सहयोग लक्ष्य प्राप्ति हेतु लिया जायेगा।
2 शिक्षा की पहुंच	असेवित बस्तियों में सर्वेक्षण के आधार पर [illegible] अधिक आबादी वाले असेवित बस्तियों [illegible] प्रा0 वि0 खोले जायेंगे तथा मानक के अनुसार 2 [illegible] प्राथमिक विद्यालय [illegible] जनपद में [illegible] से कम आबादी वाली बस्तियों में [illegible] अन्तर्गत कोई [illegible]

	केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिससे समस्त काम काजी बच्चों को शिक्षा से जोडने के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उद्योगो में लगे बच्चियों के रक्षा के लिये शिक्षा घर तथा ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा ।
3. समुदाय में बच्चों के अभिभावकों में जागरुकता का अभाव	ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जायेगा । विद्यालय द्वारा रैली का आयोजन, शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जाग्रति तथा सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित किया जायेगा।
4.बच्चों का घरेलू कार्यो में व्यस्त रहना।	अभिभावकों तथा ग्रामीण जनो में मुख्यतः मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिय समय देने केलिये प्रेरित किया जायेगा। विद्यालयों मे प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
5.छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनो के सदुपयोग में कमी	विद्यालयों मे छात्र नामांकन बढाने,उनके ठहराव को बनाये रखने के उद्देश्य से अभिभावकों को आर्थिक सहायता की दृष्टि से दिया जाने वाला उपहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण प्रक्रिया मे अपेक्षित सुधार किया जायेगा।
6.जन सहयोग एवं जागरूकता की कमी	समाज मे अभिभावकों की शिक्षा प्रति उदासीनता को समाप्त करने के लिये [illegible] समुदायों के जागरूक सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

7 विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव	विद्यालय परिसर को बागवानी, साज–सज्जा एवं आकर्षक चार्ट एवं पोस्टरों से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायगा। विद्यालय में बच्चों के खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये आकर्षक वातावरण बनाया जायेगा।
8 सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा	विद्यालय के सौन्दर्यीकरण हेतु किये गये कार्यों की सुरक्षा के लिये चारदीवारी विहीन प्रा0 विद्यालयों तथा उच्च प्रा0 विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण कराते हुए विद्यालय के सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा की जा सकेगी।
9 पेयजल,शौचालय का अभाव	जनपद में पेयजल सुविधा से विहीन प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय में पेयजल व्यवस्था की जायेगी तथा शौचालय विहीन प्रा0 विद्यालयों और उच्च प्रा0 विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी।
10.उपयुक्त भवन,कक्षा-कक्ष, साज-सज्जा तथा शिक्षकों की कमी	प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाएगा और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा।
11.शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा की कमी तथा बहुश्रेणीशिक्षण के कौशल का न होना।	शिक्षकों में नियमित दायित्वात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्यबोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव जागृत किया जाएगा। [illegible] [illegible]

को समाप्त करते हुए बालकों के प्रति उनका दायित्व बोध बढ़ा कर ठहराव समस्या को समाप्त किया जायगा।

समस्या	समाधान
12. अध्यापकों से अपने विभाग के कार्यों के साथ-साथ अन्य विभाग के कार्यों का निष्पादन कराया जाना।	किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से कराये जाये। जिससे उनके शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को उपेक्षित न समझे। अध्यापक को पठन-पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चो की प्रगति में अध्यापक की भागीदारी सुनिश्चित की जायगी। कमजोर छात्रों को विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायगी। एम0 एल0 एल0 को आधार मानकर अध्यापकों की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि की जायेगी
13. अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरुचि होना।	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगिताए आयोजित की जायगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर अग्रसारित होगा। समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायगी जिसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायगी।
14. अध्यापक अभिभावक एवं छात्रों में सामंजस्य न होना	अभिभावकों का अध्यापकों से निरन्तर सम्पर्क बना रहे इसके लिए त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायगा जिसमें अधिकतर माताओं / विकलांग अपवंचित / उपेक्षित वर्ग की भागीदारी

	सुनिश्चित की जायेगी । इस सम्मेलन में कोटिपरक शिक्षा पर बल दिया जायगा तथा उनके विचारों /समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी । नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।
15 सतत मूल्यांकन का अभाव	कोटि परक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन मासिक त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करके निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था ग्रीष्मावकाश में की जायेगी।
16 शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी	एन0 पी0 आर0 सी0 एवं बी0 आर0 सी0 के समन्वयक, प्रति [illegible] विद्यालय , निरीक्षक / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी तथा अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशानिर्देश दिये जायेंगे।
17 सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	[illegible] [illegible] में यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है। विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य [illegible] होगा और इसी से आने वाले समय में गाँव की प्रगति

हो सकेगी। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें विद्यालय का सतत् मूल्यांकन करेंगी, साथ-साथ पर्यवेक्षण अनुश्रवण भी करेंगी। माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गाँव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की बागवानी एवं साज सज्जा की उचित व्यवस्था की जायेगी। अध्यापकों के अभाव में गाँव के पढ़े लिखे लोगों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चों को गणवेश, स्लेट, कापी, पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार देने के लिये जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति निर्धारित की जायेगी।

शिक्षा की पहूंच का विस्तार

1. प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों की आवश्यकता –

वर्ष 2000–2001से जनपद मे चल रही डी0पी0ई0पी0 III योजना के अन्तर्गत 63 असेवित बस्तियों में विद्यालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिन पर तीव्र गति से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। डी0पी0ई0पी0 III योजना का प्रोस्पैक्टिव प्लान तैयार करते समय निर्माण कार्यो की लागत समस्त योजना का 24% थी जिसे बाद में बढ़ाकर 33% कर दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के सर्वे कराने पर पाया कि जनपद में 38 प्राथमिक विद्यालय नियमानुसार और खुल सकते हैं अतः उक्त 38 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण भी डी0पी0ई0पी0 III योजना की कार्ययोजना 2002–2003 में प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित नही किया गया।

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय –

मानक के अनुसार 800 से अधिक आबादी वाले तथा 3 किमी से अधिक दूरी वाली बस्तियों में विद्यालय खोले जायेगें जिनमें चारदीवारी, शौचालय, हैण्डपम्प, साज सज्जा आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में कुल 95 उच्च प्राथमिक विद्यालय चिन्हित किये गये।

सारणी 6.1

वर्षवार नवीन खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
उ.प्रा.	25	70	–	–	–

विद्यालय साज–सज्जा

प्रत्येक नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सामग्री क्रय करने हेतु किया जायेगा।

टाट पट्टी, ब्लैकबोर्ड, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिये अलमारी, सन्दूक, पंजीकाएं, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, बाल्टी, लोटा, गिलास, फुटबाल, वॉलीबाल, रिंग बॉल कूदने की रस्सी, गणित किट, विज्ञान किट, शब्द कोष, ज्ञान कोष, भौक्षिक चार्ट, मानचित्र आदि ।

पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इन्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं तथा विद्यालय के सौन्दर्यकरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सबकी लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनिट लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिससे ग्राम शिक्षा समिति अपनी सामुदायिक सहभागिता के उत्तर दायित्व को समझे।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आव यक भूमि भवन, हैण्डपम्प, भौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1 : 2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक् विचारोंपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के परिसर मे ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भूमि भवन, भौचालय, चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, भौचालय आदि मदों पर व्यय की जा सकेगी।

भौक्षिक सुविधाओं की आव□यकता हेतु सर्वेक्षण –

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी बस्ती में छात्र–छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए जनपद मे नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आव यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक व्यय योजना में नवीन विद्यालयों एवं भौतिक सुविधाओं

की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्श रखा गया है सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडो/सूचना का प्रयोग प्रयोजना के द्वितीय वर्श से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकि पर्यवेक्षण –

वर्तमान मे चल रही डी०पी०ई०पी० ८ योजना के निर्नाण कार्यो को तकनीकि पर्यवेक्षण आर०ई०एस० के विकास खण्ड स्तर पर तैनात अवर अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है अतः सर्व शिक्षा अभियान नें कराये जाने वाले निर्नाण कार्यो का पर्यवेक्षण डी०पी०ई०पी० ८ योजना की भांति ही कराया जायेगा तथा जिसके लिये उन्हें नियमानुसार मानदेय भी दिया जायेगा।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार – II
शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरुप को परिवर्तित करतें हुए शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा –

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को भात–प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कुछ विषेश और अतिरिक्त प्रयास भी किये हैं। देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरुप देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आव यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ वर्श 1979–80 से पूरे देश नें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया, इसके अन्तर्गत 6–11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नही जा पाये हैं, या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नही हैं अथवा जिन्हें किन्हीं कारणवश विद्यालय छोड़ देना (ड्रॉप आउट होना) पड़ा हो, तथा कुछ बाधाओंवश स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा से समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराई गयी यह योजना भौक्षिक दृश्टि से पिछड़े राज्यों में, बाहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीय जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विषेश रुप से चलायी गई। अनौपचारिक शिक्षा योजना सह शिक्षा वाले अनौपवारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 60 : 40 तथा बालिकाओं के लिए केन्द्र संचालित करने हेतु 10 : 10 के अनुपात में केन्द्र और सम्बन्धित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलाई गई।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। प्रदेश में कुल 591 परियोजनायें संचालित रही प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द प्रति वर्श संचालित किये गये। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय था जिसकों पूरा करने के पश्चात् बालक कक्षा –5 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा–6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता था। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये। जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के 14 विकास खण्डों में से 8 विकास खण्डों में उक्त योजना संचालित की गयी। जिसके अन्तर्गत 800 केन्द्र संचालित किये गये।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले, भालात्यागी तथा बाल श्रमिक/काम काजी बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि उक्त वय वर्ग का कोई भी बालक बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जाये। इस दृश्टि से बच्चों की विशिश्ट आव श्यकतानुसार प्राथमिक शिक्षा के अलग–अलग मॉडल दिये गये हैं। विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नलिखित है –

सारणी – 7.1

विद्यालय न जाने वालें बालक बालिकाएं

(6–11 व 11–14 वय वर्ग के)

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	6–11 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		विद्यालय न जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऊन	1815	1601	3416	217	259	476
2.	थानाभवन	2270	2205	4475	319	366	685
3.	शामली	533	794	1327	126	148	274
4.	कैराना	662	506	1168	239	398	637
5.	चरथावल	1013	918	1931	216	224	440
6.	पुरकाजी	1802	1386	3188	326	446	772
7.	मुजफ्फरनगर	2850	2596	5446	870	859	1729
8.	बघरा	1170	1497	2667	281	354	635
9.	कांधला	801	425	1226	149	120	269
10.	बुढ़ाना	2501	401	2902	525	325	850
11.	शाहपुर	1182	1018	2200	437	367	804
12.	मोरना	1013	911	1924	314	300	614
13.	जानसठ	3133	2919	6052	815	919	1734
14.	खतौली	1568	1246	2814	368	441	809
15.	नगर क्षेत्र खतौली	636	514	1150	37	53	90
16.	नगर क्षेत्र कांधला	160	240	400	273	278	551
17.	नगर क्षेत्र सदर	1125	687	1812	87	102	189
18.	नगर क्षेत्र कैराना	660	556	1216	65	82	147
19.	नगर क्षेत्र शामली	781	448	1229	67	82	149
	योग	25675	20868	46543	5731	6123	11854

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है और तदनुसार वैकल्पिक शिक्षा के रुप में शिक्षा गारण्टी योजना, विद्यालय वापस चलो अभियान कैम्प के प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों, जन समुदाय, सम्बन्धित शिक्षा अभिकर्मी और अन्य विभागों के साथ बातचीत तथा विचार–विमर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है –

नवाचार –

विद्यालय मे बच्चों के ठहराव हेतु तैयारी – प्रायः यह देखा जाता है कि माता–पिता या शिक्षक बच्चों को जोर–जबरदस्ती से विद्यालय में प्रवेश के लिये ले जाते हैं। बच्चें विद्यालय में अनमने भाव से आते हैं या रोते हुए आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातावरण उनके घरेलू उन्मुक्त वातावरण से भिन्न होता है। घर मे वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने समव्यस्कों के साथ खेलते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं। यदि विद्यालय मे भी खेलकूद और आनन्दमय वातावरण का निर्माण किया जाये तो निश्चित ही उनका मन विद्यालय में लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि सत्र के प्रारम्भ मे लगभग एक से डेढ़ माह तक विशेषकर कक्षा – 1 के बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम रखे जायेगें जिनमे मनोरंजन अधिक हों। ये कार्यक्रम निम्नलिखित हो सकते हैं –

1. रिंग (छल्ले), गेंद से खेलना।
2. रंगबिरंगे गुटको के साथ विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना।
3. जानवरों, पक्षियों के चित्रों के कट आउट देकर उनको जुड़वाना।
4. छोटे कागजों पर रंगीन पैन्सिलों से चित्रों को बनवाना।
5. बाल सुलभ कविताओं को नाच, उछलकूद द्वारा गाना और उनसे गवाना।
6. रंग बिरंगे चित्र युक्त पुस्तकों को देखकर उनमें बने चित्रों के विषय में बच्चों से वार्तालाप करना।
7. मिट्टी की गोलियां, खिलौने, कागज की नाव, पतंग, हवाईजहाज, फूल इत्यादि बनवाना।

उक्त का प्रयोग करते हुए बच्चों को धीरे–धीरे लेखन की ओर आकर्षित किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय में निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है–

1. रिंग (छल्ले), गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल, लेजिम आदि।
2. ढोलक, हारमोनियम, तबला, मंजीरा, झांझ आदि।
3. विभिन्न प्रकार के आकृति बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग बिरंगे गुटके, चित्रों के कटआउट।
1. चित्रों वाली बाल कहानी की पुस्तकें।
2. पतंगी कागज, चार्ट, कैंची, रंगीन पेन्सिलें आदि।

इनके उपयोग को देखते हुए, इसी प्रकार के अन्य मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य मुख्य रुप से कक्षा – 1 में सत्र के प्रारम्भ में चलाया जायेगा पी0टी0, व्यायाम से जुड़े कार्यक्रम जो खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के हैं उन्हें नियमित रुप से प्रतिदिन अन्तिम पीरिएड में, चलाया जाता रहेगा इन कार्यक्रमों के सकुशल संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक को प्रक्षिशण प्रदान किया जायेगा।

एस0यू0पी0डब्ल्यू0 (सोसायटी यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क) समाजोपयोगी वर्क –

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि वे कुछ ऐसे कार्य करें, जिससे उनके कौशल का विकास हो और उनके द्वारा किये गये कार्यो से वे स्वयं संतुश्टि पा सकें। कार्यो का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कार्य उत्पादक हो और उनके दैनिक जीवन के लिये उपयोगी तथा रुचिकर हों।

सामान्यतया उच्च प्राथमिक स्तर पर 11 – 12 वय वर्ग से लेकर 14 – 15 वर्ग की बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस उम्र जहां उन्हें एक ओर हस्त कौशल युक्त कार्यो को करने में आनन्द आता है वहीं दूसरा ओर वे इन कार्यो को शीघ्रता से सीख भी लेती हैं इस बात को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित कुछ कार्यो को प्रस्तावित किया गया है इसके लिये सप्ताह में दो दिन अंतिन चक्रों में स्थान दिया जायेगा।

1. रद्दी कागज, कतरन से गुडिया बनाना।

2. कागज की लुगदी से खिलौने बनाना।

3. सिलाई, कढ़ाई का कार्य करना।

4. जैम, जैली, आचार, मुरब्बा आदि बनाना।

5. गृह वाटिका लगाना, सजाना आदि।

इन कार्यों के संचालनार्थ आवश्यक उपयोगी सामग्रियों यथा–सिलाई फ्रेम, सुई–डोरा, सांचे इत्यादि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक विकास खण्ड के पॉच–पॉच ऐसे विद्यालयों को सामग्री दी जायेगी जहां रख–रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हो। पर्याप्त कुल लाज शिक्षक हों और आस–पास इस प्रकार की शिक्षण की सुविधा सुलभ न हो। धीरे–धीरे इसका अग्रिम वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

शिक्षा गारण्टी योजना (ई0जी0एस0 केन्द्र) –

ऐसे बच्चे जो 6 –7 वर्ष के हैं और 1.5 किमी0 की दूरी तक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है यह केन्द्र प्रतिदिन चार घंटे तक चलेगें पर पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं साज–सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई0जी0एस0 केन्द्रों पर अध्ययनरत बच्चों द्वारा कक्षा –2 तक का स्तर प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें समीपस्थ विद्यालयों से जोड दिया जायेगा। इसके लिए उनको सतत् प्रेरित किया जायेगा। और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र में 30 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें।

ई0जी0एस0 में शिक्षण हेतु शिक्षा आचार्य का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा और आचार्य को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद मे 106 ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2005–2006 से की जायेगी।

विद्यालय वापस चलो शिविर (सगर कैम्प) –

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य बालत्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों के ही लिए चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

विद्यालयों में होगा। इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो भालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी, इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे हैं और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा से वंचित रहे हैं। इन शिविरों में बालक – बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा। और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा।

जनपद में 112 समर प्रत्येक न्याय पंचायत के एक विद्यालय में कराने का प्रस्ताव है। प्रत्येक में प्रतिभागियों की संख्या 40 होगी। वर्ष 2004–05 तक ये कैम्प डी0पी0ई0पी0 के द्वारा आयोजित किये जायेगें।

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
समर कैम्प संख्या	112	112	112	112	112

जनपद में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत है–

कारण	5 से 6		7 से 10		11 से 14		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
अपने घर के कार्यों में लगे रहना	5797	3867	4201	1936	2309	2633	12307	8436
मजदूरी में लगे रहना	403	35	401	131	1111	75	1915	241
भाई–बहनों की देख–भाल	2498	3146	1089	1777	475	1456	4062	6379
विद्यालय दूर होने के कारण	0	32	29	27	23	23	52	82
अन्य कारण	9187	8290	2070	1027	1813	1936	13070	11853
योग	17885	15370	7790	5498	5731	6123	31406	26991

इन बालकों हेतु जनपद स्तर पर निम्न कोर्स संचालित किए जाने का श्रेणीवार प्राविधान है।

1. **घरेलू कार्यों में लगे रहना**– ऐसे बच्चे जो अपने घर के कार्यों में लगे रहते हैं को विद्यालयों में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है। साथ ही वैकल्पिक केन्द्र खोलकर इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास इनकी सुविधानुसार इनके ग्राम निवासी अनुदेशक/आचार्य जी द्वारा शिक्षा से जोड़े जाने का प्राविधान किया गया।

क्र.सं.	कोर्स	2003–2004		2004–2005		2005–2006	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ब्रिज कोर्स न्याय पंचायत स्तरीय	112	4480	112	4480	112	4480
2.	बैक टू स्कूल	33	1320	33	1320	33	1320
3.	वैकल्पिक केन्द्र	250	10000	250	10000	250	10000

2. **मजदूरी में लगे रहना**– जनपद में कुछ बच्चे मजदूरी के काम में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर AIE खोले जा रहे हैं जिनका समय इनके कार्य समय के पश्चात् सायंकालीन रखे जाने का प्रस्ताव है, ताकि ये बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

क्र.सं.	कोर्स	2003–2004		2004–2005		2005–2006	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ए०आई०ई०	28	1400	28	1400	28	1400
2.	आवासीय ब्रिज कोर्स	03	180	03	180	03	180

3. **भाई–बहनों की देखभाल**– जनपद में कुछ बच्चे अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु इनके छोटे भाई–बहनों के लिए विशेष रूप से ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की

व्यवस्था की गयी है। साथ ही ग्रीष्म अवकाश में बालिकाओं हेतु अलग से ग्रीष्म कालीन शिविर चलाये जाने का प्राविधान है।

क्र.सं.	कोर्स	2003–2004		2004–2005		2005–2006	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ई.सी.सी.ई.	100	5000	150	7500	150	7500
2.	समर कैम्प	70	3500	70	3500	70	3500

4. अन्य कारण-- जनपद में उक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त रूढ़िवादिता, गरीबी एवं अन्य कारणों से विद्यालय न जा पा रहे बच्चों के लिए साथ ही केवल दीनी तालीम प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए मकतब/मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय न जा पा रहे बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 116 अतिरिक्त ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है जिसके माध्यम से इन बालकों को विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था की जायेगी।

क्र.सं.	कोर्स	2003–2004		2004–2005		2005–2006	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	विद्या केन्द्र	106	4240	106	4240	106	4240
2.	ए.आई.ई.	116	5800	116	5800	116	5800
3.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	70	2800	70	3500	70	5000

साथ ही विद्यालयों को आकर्षक बनाकर एवं मिड डे मील कार्यक्रम तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद मुजफ्फरनगर में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) आरम्भ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें प्रदान की जा रही है, असेवित बस्तियों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें प्रदान की जा रही है, असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है तथा गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से जनपद में जुलाई माह में 'स्कूल चलो अभियान' भी चलाया गया है जिसके द्वारा 6–14 वर्ष वर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन का प्रयास किया गया है। इस अभियानों के फलस्वरूप जनपद में बच्चों के विद्यालय नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परन्तु बच्चों के नामांकन मात्र से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि जो बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले, वह बीच में विद्यालय न छोड़े और कम से कम 8 वर्ष की बुनियादी शिक्षा अवश्य प्राप्त कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के ठहराव (Retention) में वृद्धि कर तथा शाला त्याग (Dropout) समाप्त कर ही 2010 तक से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति–

जनपद में डी.पी.ई.पी. आरम्भ होने से पूव शालात्याग की दर 40% थी जो 3 वर्षों में कम होकर 21% रह गयी है। ठहराव में वृद्धि के लिये सर्वप्रथम उन कारकों को चिन्हित करना है, जिसके कारण बच्चे शालात्याग करते हैं। इन कारणों को जानने के बाद इनका निराकरण कर ठहराव में वृद्धि की जा सकती है। सर्वशिक्षा

अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि शालात्याग के सभी आर्थिक, सामाजिक व भौतिक पहलुओं पर ध्यान देकर इस समस्या को समाप्त किया जाये। जिला, विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक समूहों से हुए विचार–विमर्श में यह जानने का प्रयत्न किया गया कि शालात्याग के प्रमुख कारण क्या हैं इन कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1. विद्यालय भवन में भौतिक साधनों की कमी, भवन अपूर्ण या जर्जर/धवस्त होना।
2. विद्यालय में शिक्षकों की कमी होना।
3. विद्यालय में सुविधाओं जैसे शौचालय आदि का न होना।
4. विद्यालय का नीरस वातावरण व अध्यापक द्वारा उबाऊ तरीकों से शिक्षा।
5. समाज में बालिका शिक्षा को व्यर्थ समझने की रुढिवादिता।
6. विकलांग बच्चों के लिए कोई व्यवस्था न होना।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न प्रयास किये जायेगें। जिससे 2007 तक ठहराव शत–प्रतिशत हो सके।

1. विद्यालय भवन :–

जनपद में भवनहीन/जर्जर विद्यालयों की संख्या 35 है इन विद्यालयों में कक्षाऐं या तो पेड के नीचे लगती हैं अथवा खुले मैदान में, जिसके कारण बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं अभिभावक भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजना पसन्द नहीं करते हैं जिससे ड्रापआउट में वृद्धि होती है ऐसे विद्यालयों के भवनों का पुर्ननिर्माण 'सर्वशिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। तथा योजना के प्रथम 2 वर्षों में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। विकास खण्डवार पुर्ननिर्माण किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है :–

सारणी - 8.1

विद्यालय पुर्ननिर्माण की ब्लाकवार स्थिति

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	पुर्ननिर्माण वाले विद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	सदर	1	1968
2.	चरथावल	2	1970 व 1972
3.	पुरकाजी	1	1969
4.	बघरा	2	1965 व 1970
5.	जानसठ	5	1965 व 1971 के मध्य
6.	मारेना	2	1970 व 1971
7.	खतौली	4	1968 से 1972 के मध्य
8.	बुढाना	2	1970 व 1971
9.	शाहपुर	2	1965 व 1968
10.	मोंधसा	3	1965 से 1970 के मध्य
11.	ऊन	4	1965 से 1972 के मध्य
12.	कैराना	3	1963 से 1970 के मध्य
13.	शामली	2	1968 व 1970
14.	थाना भवन	2	1965 व 1969
	योग-	35	

2. अतिरिक्त कक्षा--कक्षः-

जनपद में डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत योजना अवधि में 427 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण लक्ष्य रखा था जिसमें से 170 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है तथा शेष 175 अतिरिक्त कक्ष इस वित्तीय वर्ष में प्रावधानित है। डी.पी.ई.पी. योजना की कार्ययोजना निर्माण करते समय निर्माण कार्यों पर 24 प्रतिशत की सीमा थी जिसे बाद में बढ़ा कर 33 प्रतिशत कर दिया गया। सर्वशिक्षा अभियान की कार्य योजना निर्माण कराने से पूर्व सर्वे कराने पर प्रति प्राथमिक विद्यालय 3 कक्षा कक्ष के आधार पर 1501 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता आयी जिसमें 33 प्रतिशत की सीलिंग को दृष्टिगत रखते हुए 450 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष डी.पी.ई.पी. योजना 2002-2003 में सम्मिलित कर ली गयी इस प्रकार 1501 से 707 को घटाकर मात्र 794 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता बनती है। निर्धारित मानक के अनुसार सन 2007 में प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का ब्यौरा निम्न प्रकार है - उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अतिरिक्त कक्षों की कोई माँग नहीं है।

सारणी 8.2

अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	2003-2004	294	-
2.	2004-2005	250	-
3.	2005-2006	250	
4	2006-2007	-	
	योग-	794	

शौचालयः-

जनपद में चल रही डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत योजनावधि में 520 शौचालयों का निर्माण कराया जाना है जिसमें से 300 शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा शेष इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कराये जाने हैं। वर्तमान में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को शौचालय युक्त करने के लिए 200 शौचालयों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की आवश्यकताः-

वर्तमान छात्र संख्या के आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर में प्राथमिक स्तर पर 1 : 40 अध्यापक – छात्र अनुपात पर 6060 अध्यापकों की तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 : 5 विद्यालय – अध्यापक अनुपात पर 2030 अध्यापकों की आवश्यकता है। जिसके सापेक्ष प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत पदों के अनुसार 5701 (शिक्षामित्रों सहित) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1101 अध्यापक उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में 359 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 929 अध्यापकों की कमी है। वर्ष 2007 तक छात्र नामांकन प्रक्षेपण के आधार पर वर्षवार निम्न प्रकार से अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर गावदार विस्तृत आकड़े प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

सारणी 8.3

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक स्तर						उच्च प्राथमिक स्तर			
		परिषदीय विद्यालयों में कुल नामांकन	वर्तमान में शिक्षक + शिक्षा मित्र	1:40 के आधार पर अध्यापकों की आवश्यकता	कमी	शिक्षक	शिक्षा मित्र	परिषदीय विद्यालयों की कुल संख्या	1 : 5 के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता	वर्तमान में कार्यरत शिक्षक	कमी
1	2002-2003	238825	5158	5971	813	407	406	320	1600	1082	518
2	2003-2004	242407	5701	6060	359	180		406	2030	1101	929
3	2004-2005	246043	6060	6151	91	46	224	406	2030	2030	0
4	2005-2006	249733	6151	6243	92	46	46	406	2030	2030	0
5	2006-2007	257478	6243	6336	94	47	47	406	2030	2030	0

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरणः-

डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2000-2001 में जनपद के समस्त अनुसूचित जाति के छात्रों व समस्त वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई। वर्ष 2001-2002 में इस योजना में परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। 'सर्वशिक्षा अभियान' के अन्तर्गत इस योजना से उच्च प्राथमिक स्तर को भी आच्छादित किया जायेगा। वर्ष 2004-2005 में सहायता प्राप्त विद्यालयों के बालकों को भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण किये जाने का प्रावधान है।

क्र. सं.	स्तर	वर्ष 2003-2004			2004-2005			2005-2006			2006-2007		
		परि.	सहा.	योग	परि.	सहा.	योग	परि.	सहा.	योग	परि.	सहा.	योग
1.	प्राथमिक	-		-	-	-	-	190144		190144	163546		163546
2.	उच्च प्राथमिक	45810	6	45816	54546	5044	59663	55640	5164	60834	58753	5369	62122

विद्यालय मरम्मत व रखरखावः-

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय सुन्दर, आकर्षक तथा मूलभूत सुविधाओं से सम्पन्न हो इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 5000 रू0 प्रतिवर्ष मरम्मत व रख-रखाव हेतु तथा 2000 रू0 प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय हेतु देने का प्रावधान किया गया है।

क्र. सं.	स्तर	2004-2005			2005-2006			2006-2007		
		परि	सहा.	योग	परि	सहा	योग	परि.	सहा	योग
1.	प्राथमिक	1356	-	1356	1356	-	1356	1356	-	1356
2	उच्च प्राथमिक	406	51	457	406	51	457	406	51	457

शिक्षक अनुदान (टी.एल.एम.):-

जनपद के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को प्रतिवर्ष कुल रू0 500/- की दर से प्रावधान इस मद में किया गया। जनपद के 51 सहायता प्राप्त विद्यालयों के 3-3 शिक्षकों हेतु 500/- रूपये की दर से प्रावधान किया गया है।

क्र. सं	स्तर	2004-2005			2005-2006			2006-2007		
		परि.	सहा.	योग	परि.	सहा.	योग	परि	सहा.	योग
1.	प्राथमिक	6110	-	6110	6357	-	6357	6351	-	6351
2	उच्च प्राथमिक	2030	153	2183	2030	153	2183	2030	153	2183

बालिका शिक्षा

भारतीय संविधान में 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का संकल्प लिया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान संशोधन 93 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पुरूषों व महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 64.2 एवं 39.29 तथा उत्तर प्रदेश में क्रमशः 55.73 एवं 25.31 प्रतिशत पाई गई। जनपद - मुजफ्फरनगर में यह दर क्रमशः 73.10 एवं 48.62 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से महिलायें पुरूषों की तुलना में काफी पीछे हैं और यह स्थिति राष्ट्र से लेकर हर जिला स्तर पर परिलक्षित हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये कोई भी योजना बनाते समय बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

बालिकाओं के कम नामांकन व बालत्याग के कई कारण हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन के आधार पर बालिका शिक्षा में अवरोध के जो मुख्य बिन्दु उभर कर आये वे निम्न प्रकार हैं -

1. बस्तियों / ग्रामों में स्कूल का अभाव –

बालिकाओं के कम नामांकन का यह सबसे बडा कारण है। असुरक्षा की भावना के कारण माता-पिता अपनी लडकी को गॉव से बाहर विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते है।

2 अभिभावकों में जागरुकता का अभाव –

अशिक्षित अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। विशेशकर बालिका शिक्षा को वे व्यर्थ समझते हैं। वे मानते हैं कि लडकी को शादी के बाद दूसरे घर में जाना है और कोई नौकरी नही करनी है इसलिये लडकी को पढाना बेकार है।

3. छोटे भाई-बहिनों की देखभाल –

आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अशिक्षित परिवारों में परिवार नियोजन न अपनाने के कारण अधिक बच्चे हो जाते हैं। चूंकि मॉ व बाप दोनों ही मजदूरी पर जाते है ऐसे में बालिकाओं को छोटे भाई–बहिनों की देखभाल के लिये घर पर ही रोक लिया जाता है।

4 आर्थिक बाध्यता –

गरीबी के कारण भी कई अभिभावक चाहते हुए भी अपनी बेटी को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं।

5 बाल-विवाह की प्रथा –

अभी भी समाज के निम्न वर्गों में बाल–विवाह की प्रथा देखने को मिलती है जिसके कारण बालिका का विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है और उसकी शिक्षा अधूरी ही रह जाती है।

6. महिला शिक्षिकाओं की कमी –

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी होना भी बालिकाओं के कम नामांकन का एक कारण है। असुरक्षा की भावना के कारण अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय में नहीं भेजते है।

7. अन्य अवरोध --

विद्यालयों में शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव, बाल मजदूरी, शिक्षा का अव्यवहारिक होना, विशेष अवसरों जैसे खेती में कटाई--बुआई, शादी त्यौहार आदि पर कार्य अधिकता के कारण घर रोक लिया जाना बालिका शिक्षा में मुख्य अवरोध हैं।

रणनीतियां -

1. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को समझाते हुए समुदाय को जागरूक करना एवं जन अभियान चलाना।
2. आवश्यकतानुसार विद्यालय की पहूंच में विस्तार करना।
3. बालिकाओं की आवश्यकतानुसार विद्यालयों में वातावरण सृजन करना।
4. लिंग समानता पर जोर ताकि समाज बालक--बालिकाओं की शिक्षा की समानता को सहजता से समझ सके।
5. शिक्षकों को कक्षा मे लिग भेद आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित करना।
6. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना करना।
7. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
8. समाजोपयोगी कार्य (एस0यू0पी0) जैसे सिलाई--कढ़ाई, बुनाई, बागवानी आदि के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम –

प्राथमिक शिक्षा जिसमे विशेष रुप से सब बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य बिना जन सहभागिता के सम्भव नही है। जन सहभागिता व जन जागृति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें–

1. मीना फिल्म प्रदर्शन --

यूनीसेफ द्वार निर्मित इस कार्टून फिल्म का गॉव--2 मे प्रदर्शन किया जायेगा यह फिल्म विशेष रुप से महिलाओ को दिखादी जायेगी ताकि उनमे शिक्षा के प्रति जागृति आ सके।

2. माँ बेटी मेला

ऐसी ग्राम सभाओं में जहां स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेलों को आयोजन किया जायेगा। इनका उद्देश्य बालिका व उसकी माँ को एक साथ लाकर स्कूली शिक्षा के लाभ तथा स्कूल की विभिन्न गतिविधियां दिखायी जायेगी जिससे उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो सके।

3 महिला रैली –

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ग्राम स्तर पर पर महिला रैलियों का आयोजन किया जायेगा रैलियों के आयोजन में शैक्षिक संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जायेगा।

4. कला–जत्था प्रदर्शन –

जनपद से ग्राम स्तर तक कला जत्था के माध्यम से लोगों को प्राथमिक शिक्षा के महत्व की जानकारी दी जायेगी तथा बालिकाओं के शिक्षा के प्रति संकुचित सोच में बदलाव कर प्रेरित किया जायेगा। कला–जत्था, नुक्कड नाटक, लोक गीत व लघु नाटिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य करेगें।

5 विषेश नामांकन अभियान –

ऐसे क्षेत्रों में जहां नामांकन की दर कम हो विषेश नामांकन अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान मे एम0टी0ए0/पी0टी0ए0/डब्लू/एम0जी0 के सदस्यों के साथ घर–घर सम्पर्क किया जायेगा। यह कार्यक्रम अन्य गतिविधियों जैसे मीना कम्पेन, ग्राम शिक्षा समिति मेला व कला–जत्था प्रदर्शनी से भी जोड़ा जायेगा।

6. ग्राम शिक्षा समिति/माता–शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूहों की बैठक –

बालिका शिक्षा के सामुदायिक गति शिलता हेतु ग्राम शिक्षा समिति/माता–शिक्षक संघ/महिला प्रेरक समूहों की प्रतिमाह बैठक आयोजित की जायेगी। बैठकों मे बालिका शिक्षा हेतु विचार–विमर्श करने के उपरान्त रणनीति तैयार की जायेगी।

7 ठहराव परिक्रमा –

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक विद्यालय सप्ताह में एक बार ठहराव परिक्रमा का आयोजन करेगा। इस परिक्रमा मे बैनर आदि के साथ बालिकाए आगे चलगी। इस दौरान न स्कूल जाने वाले व न जाने वाले बालिकाओं के घरों का चिन्हांकन भी किया जायेगा।

8. तारांकन --

इस अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु तारांकन अभियान चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत अध्यापक द्वारा विद्यालय उपस्थिति पंजिका में प्रत्येक बालिका को उसकी उपस्थिति के आधार पर माह के अन्त में उसके नाम के आगे एक निशान निम्नवत् दिया जायेगा।

15 दिन से अधिक स्कूल आने वाली बालिका को हरे रंग का निशान दिया जायेगा।

8 से 15 दिन आने वाली बालिका को पीले रंग का निशान दिया जायेगा।

7 दिन से कम उपस्थित रहने वाली बालिका को लाल रंग का निशान दिया जायेगा।

9. ग्राम शिक्षा समिति मेला --

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति मेला का आयोजन किया जायेगा। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को एक साथ एकत्रित करना तथा उन्हें परस्पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करना जिससे वे आपस में एक दूसरे द्वारा किये अच्छे कार्यों से अवगत होकर स्वयं भी वैसा करने के लिये प्रेरित हो सकें।

10 बालिका शिक्षा हेतु अक्षमता संवर्धन के कार्यक्रम --

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

(i) जिला स्तर पर सन्दर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण --

जिला स्तर पर जिला सन्दर्भ समूह का गठन किया जायेगा जिसमें 20 से 25 सदस्य होंगे तथा त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा तथा लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा/ब्लाक समन्वयक/न्याय पंचायत प्रभारियों को क्षमता संवर्धन हेतु तीन दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

(iii) महिला प्रेरक व अभिभावक शिक्षक संघ के ग्राम सभा स्तर पर दो दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

(vi) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर दो दिवसीय लिंग संवेदन शीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

11 ठहराव में वृद्धि हेतु रणनीतियां –

(I) जनपद के समस्त ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :

जनपद में समस्त खण्ड ग्राम शिक्षा समितियों को ग्राम स्तर पर वर्ष 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007 में दो दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(II) निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण –

जनपद मे समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त वर्गों की बालिकाओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की जायेगी।

12 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम –

जनगणना अभियान – जनपद मुजफ्फरनगर में सर्वेक्षण के आधार पर अभी भी 6–11 वय वर्ग के 28236 तथा 11–14 वय वर्ग के 39097 बच्चे विद्यालय नही जा रहे हैं इन बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिये जन जागरण अभियान चलाया जायेगा। जन जागरण अभियान मे स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जायेगा। सामाजिक जागृति हेतु प्रभात फेरियां जुलूस निकाले जायेगें तथा पोस्टर, नारे, लेखन, जनसम्पर्क तथा महिला मण्डलो की बैठकें आयोजित की जायेगी।

प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक संघ माता–शिक्षक संघ तथा न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

बालिकाओं में आत्म विश्वास एवं नेतृत्व का गुण विकसित करने हेतु यौवन कालीन शिविर, एवं लाइफ स्किल ट्रेनिंग आयोजित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समितियों को लगातार सक्रिय बनाये रखने के उद्देश्य से एक–एक वर्ष के अन्तराल पर 2007 तक तीन चक्रों का अभिमुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर 2005 तक ग्राम शिक्षा समिति मेले लगवाने का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया जायेगा।

13. अरोचित बस्तियों हेतु शिक्षा की व्यवस्था –

(I) जनपद में वर्तमान में ऐसे गॉव है जहां 1 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नही है इसी प्रकार ऐसे गॉव भी है जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की

आवश्यकता है इन सभी गाँव में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है इसके अतिरिक्त ऐसे गाँव जहां विद्यालय की उपलब्धता के बावजूद घरेलू कार्य व अन्य लघु उद्योगों के लगे होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

(ii) बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

(iii) बालिकाओं का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में कम से

कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति प्रस्तावित है महिला अध्यापिका उपलब्ध न होने की दशा में विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में महिला की नियुक्ति की जायेगी।

14 शिशु शिक्षा केन्द्र –

उद्देश्य

(i) बालिकाओं को छोटे भाई बहिनों की देखरेख से मुक्त करके उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने की सुविधा प्रदान करना।

(ii) विद्यालय से पूर्व के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करने में सहायता करना।

रणनीतियां –

(i) समेकित बाल विकास परियोजना के प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित बाल विकास परियोजना से समन्वय करके नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर तथा विकास खण्डों में 356 शिशु शिक्षा केन्द्र [illegible] संचालित है।

(ii) [illegible] समझौते के [illegible] में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] से 15 शिशु शिक्षा केन्द्र [illegible] [illegible] प्रस्तावित है।

स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड कैराना, थानाभवन, ऊन, सदर, खतौली में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। इन विकास खण्डों की महिला साक्षरता दर कम है। इन विकास खण्डों में 25 केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों हेतु कार्य कत्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। कार्य कत्रियों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कराया जायेगा। केन्द्रों पर कार्यरत कार्य कत्रियों/सहायिकाओं को मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव मांगे जायेंगे। इन प्रस्तावों पर डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल हेतु स्थानीय अधिकारियों द्वारा संस्तुति की जायेगी। संस्तुति के उपरान्त प्रस्ताव को जिला शिक्षा परियोजना समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

15. विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों एवं समस्याओं हेतु विशेष रणनीतियां –

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु न्याय पंचायत (मॉडल क्लस्टर) का चयन निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार किया जायेगा –

(I) कम महिला साक्षरता दर।

(II) बालिकाओं का न्यून नामांकन एवं ठहराव।

(III) अनुसूचित जाति अथवा अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

(IV) सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियां।

(V) महिला संगठनों तथा अन्य उत्साही स्वयं सेवी संगठनों का कार्यरत होना।

मॉडल क्लस्टर में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां –

(I) कोर टीम का गठन किया जायेगा तथा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(II) नामांकन अभियान।

(III) मीना कम्पेन।

(IV) मां-बेटी मेला।

(V) महिला प्रेरक दल / माता ... शिक्षक ... संघ का गठन तथा प्रशिक्षण।

(VI) ... परिक्रमा।

(vii) ग्रीष्मकालीन शिविर।

(viii) कला जत्था।

(ix) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षकों का लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण।

शुरूआत में एम0एस0डी0पी0 कार्यक्रम जनपद के कैराना तथा ऊन विकास खण्ड की 3-3 न्याय पंचायतों में चलाया जायेगा क्योंकि महिला साक्षरता की दर इन विकास खण्डों में सबसे कम है।

16. ग्रीष्मकालीन शिविर --

लक्ष्य समूह --

9-14 वय वर्ग की बालिकाएं जो कक्षा 2, 3 अथवा 4 के बाद विद्यालय छोड़ चुकी हैं तथा किसी अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हैं।

उद्देश्य

1. 9-14 आयु वर्ग की शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः मुख्य धारा से जोड़ना।
2. माता पिता तथा समुदाय को इन बालिकाओं को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना।

पूर्व तैयारी --

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों तथा अन्य स्रोतों, सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसे क्षेत्र / ग्राम / विद्यालय की पहचान करना जहां पर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 में बालिकाओं का कम नामांकन तथा शाला त्याग अधिक है। प्रत्येक ... विद्यालय में ... प्राथमिकता के आधार किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 ... शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वित्तीय सत्र 2005-2006 से इन ... का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जायेगा।

17. उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना --

बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात घर में बैठ जाती हैं ... उच्च प्राथमिक विद्यालय अधिक दूरी पर होते हैं। इसके लिए मानक के अनुसार ... में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

समेकित शिक्षा

कारह का लगभग 5--10 प्रति त जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय न ले आया जाय। बच्चो की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहां परिवार व समुदाय को भी प्रभावित करता है।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों को सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। समेकित शिक्षा का आ य अक्षमता ग्रस्त बच्चो को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमे उनके सीखने की प्रक्रिया मे कम से कम बाधायें रह जायें। वे कक्षा के शेष बच्चों की भाति सीख समझकर आगे बढे और उनका समुचित विकास हो। इससे सामान्य बच्चो और अक्षमता ग्रस्त बच्चो के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित होने का अवसर मिलता है।

अक्षम बच्चो की शिक्षा के सम्बन्ध मे अनेक भ्रान्तियां है। बहुत से अध्यापकों का सोचना है कि अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिये वि ोश तकनीक की आवश्यकता होती है। जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नही होती। केवल अध्यापकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है।

संवेदीकरण

अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिये निम्न का संवेदीकरण आवश्यक है --

1 समुदाय का संवेदीकरण।

2 परिवार एवं भाई-बहनों का संवेदीकरण।

3 अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आव यकता है। उनकी अक्षमताओं को और अधिक विकसित करने की आव कता है।

जनपद मुजफ्फरनगर मे सर्वे के अनुसार लगभग 2430 विकलांग बच्चे परिषदीय विद्यालयो मे नामांकित है। डी०पी०ई०पी० योजना मे ऐसे बच्चो की पहचान कर उन्हे उपकरण एवं उपस्कार दिलाने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना मे यह कार्यक्रम मात्र दो विकास खण्डो मोरना एवं सदर मे चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में जनपद

के सभी विकास खण्डों को इस कार्यक्रम से आच्छादित किया जायेगा। इस अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत निम्न प्रयास किये जायेंगे –

1. अध्यापकों का प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिये अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी –

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण, उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए डाक्टरों की टीम जिसमें एक ऑर्थोपेडिक, एक ई0एन0टी0 एवं एक आई स्पेशलिस्ट को द्वारा मेडिकल असेसमेन्ट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से की जायेगी।

अध्याय-९

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा में शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन की आवश्यकता को समझते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार को महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुख्य आयाम माना गया। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन की सबसे अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसकी निरंतर और स्थायी व्यवस्था हेतु जनपद स्तर पर डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक जनपद में डायट स्थापित करने की व्यवस्था शासन स्तर से की गई।

जनपद मुजफ्फरनगर में इसी अवधारणा के अनुरूप द्वितीय चरण में वर्ष 1991–92 में 6.6 हैक्टेयर (लगभग 16 एकड) भूमि पर स्थित राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज के स्थान पर 'डायट' की स्थापना हुई। परन्तु वर्ष 1999 में प्रदेशीय शासन के आदेशानुसार 9 एकड भूमि जनपद में नवीन स्थापित केन्द्रीय विद्यालय को स्थानान्तरित कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान में डायट' लगभग 7 एकड भूमि पर स्थित है। डायट मुजफ्फरनगर सरकुलर रोड पर स्थित है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से मात्र एक किमी0 की दूरी पर स्थित है।

'डायट' संकल्पना के उद्देश्य :-

1– जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नियोजन।

2– सेवा पूर्व प्रशिक्षण द्वारा कुशल, प्रभावी, गुणवत्तापरक शिक्षक तैयार करना।

3– जनपद की मांग एवं आवश्यकता अनुरूप पाठयक्रम, पाठयवस्तु निर्माण।

4– सेवारत शिक्षकों को समय–समय पर शिक्षण की नई विधियों विशेषकर बाल केन्द्रित गति विधि आधारित शिक्षा में दक्ष करना तथा उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना।

5– शिक्षा क्षेत्र में नवाचार।

6– जनपद की अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सह सम्बन्ध स्थापित एवं विकसित करना।

7– क्रियात्मक शोध द्वारा प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की पहचान, निराकरण के उपाय सुझाना।

8– शिक्षा के सार्वजनीकरण के उपाय करना।

9– शैक्षिक उन्नयन हेतु सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करना तथा विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण सृजित करना।

10– जनपद के प्राथमिक शिक्षा के अकादमिक पक्ष का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना।

डायट के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डायट में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता हेतु शासन स्तर पर लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रत्येक जनपदीय 'डायट' के लिए मानक निर्धारित किये गये तथा उन मानकों के अनुरूप मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। जनपद मुजफ्फरनगर का डायट क्योंकि जनपद में पहले से स्थापित 'राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज' के भवन में स्थापित किया गया था इसलिए अन्य डायटों की अपेक्षा यहाँ नवीन निर्माण कार्य कम हुआ और पुराना भवन जो कि अधिकांश जर्जर अवस्था में था उसी में डायट का शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य–सम्पादित किया जाता रहा, उसमें भी एक बड़ा भाग जनपद में नवीन स्थापित केन्द्रीय विद्यालय को हस्तानान्तरित कर दिये जाने से पहले से सम्बद्ध राजकीय आदर्श विद्यालय भी पुराने जर्जर छात्रावास में चलाने को बाध्य होना पड़ा।

जनपदीय डायट के महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं अकादमिक क्रियाकलापों का वर्तमान परिदृश्य प्रस्तुत करने से पूर्व डायट के वर्तमान भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का वर्तमान रूप प्रस्तुत किया जा रहा है:–

डायट के भौतिक संसाधन :–

(क) भवन स्थिति–

क्रम संख्या	भवन का नाम	आच्छादित क्षेत्रफल(वर्ग मी)	पुराना भवन	नया भवन	समस्याएं
1–	कक्षा–कक्ष	8966	02	02	1. पुराना छात्रावास जर्जर है।

2–	पुस्तकालय	69.65	01	..	2. पुराने भवन जीर्ण–शीर्ण है।
3–	प्रयोगशाला	126.59	02	02	3. सभी कक्षों एवं कक्षा कक्षों में
4–	कार्यशाला	54.00	01	..	साज सज्जा एवं फर्नीचर की
5–	कला कक्ष	69.65	01	..	कमी
6–	संगीत कक्ष	69.65	01	..	4. डायट के विभागों की
					स्थापना
7–	सभा कक्ष	111.42	01	01	हेतु कमरों का अभाव।
8–	प्राचार्य कक्ष	69.65	01	..	5. रीडिंग रूम का अभाव
9–	कार्यालय	69.65	01	..	
10–	कामन रूम	—	—	01	
11–	स्टाफ रूम	69.65	01	..	
12–	स्टोर	168.00	03	01	
13–	शौचालय	17.14	—	01	
14–	नया छात्रावास	(महिला) क्षमता 50 छात्र		कक्ष 32	
15–	पुराना छात्रावास	(पुरुष) क्षमता 50 छात्र		कक्ष 25	

स्त्रोत :– 'डायट अभिलेख'

(ख) पुस्तकालय :–

(1) पुरानी पुस्तकें – 1358

(2) नयी पुस्तकें – 1350

समस्या :– पुस्तकालयाध्यक्ष अनुपलब्ध

(ग) शैक्षिक तकनीकि एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता :–

शैक्षिक तकनीकि उपकरण			अन्य उपकरण		
क्र0सं0	नाम उपकरण	संख्या	क्र0सं0	नाम उपकरण	संख्या
1–	रंगीन टेलीविजन	02	1–	टाइप मशीन	02
2–	वी0सी0आर0	01	2–	स्टेंसिल मशीन	01
3–	स्लाइड प्रोजेक्टर	01	3–	फोटोकापियर	01
4–	टू–इन–वन	04	4–	सिलाई मशीन	05
5–	ओवर हैड प्रोजेक्टर	03	5–	वाहन	01
6–	एपीडाया स्कोप	01			
7–	माईक	01			

स्त्रोत :– 'डायट अभिलेख'

डायट के मानवीय संसाधन (संस्थान की प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यवस्था)

(1) प्राचार्य (रिक्त)

(2) उप प्राचार्य (कार्यरत)

(क) **अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ :–**

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त
1–	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
2–	प्रवक्ता	17	11	06
3–	सांख्यकीकार	01	01	––
4–	तकनीकि सहायक	01	01	––
5–	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	––

सर्पोटिंग स्टाफ

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त
1–	पुस्तकालय	01	––	01
2–	कार्यालय अधीक्षक	01	01	––
3–	स्टैनो	01	––	01
4–	लिपिक	10	07	03
5–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05	––

डायट की स्थापना से पूर्व जे0बी0टी0सी0 से सम्बद्ध राजकीय आदर्श विद्यालय को अब डायट से सम्बद्ध कर दिया गया है। यह राजकीय आदर्श विद्यालय स्थान की अनुपलब्धा के कारण पुराने छात्रावास भवन के बरामदे मे चलता है। आदर्श विद्यालय के मानवीय संसाधन का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त
1–	प्रधानाध्यापक	01	–	––
2–	सहायक अध्यापक	10	09	01
3–	लिपिक	01	–	01
4–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	02	––

उपरोक्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनो से युक्त डायट से अपेक्षा की गयी है कि वह जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो से शैक्षिक एवं अकादमिक नेतृत्व प्रदान करते हुए जनपद की शैक्षिक प्रगति एवं समय–समय पर पडने वाली आवश्यकता की पूर्ति एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

जनपद के डायट ने अपनी स्थापना के पश्चात उपलब्ध समिति भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के बावजूद जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन की दिशा में प्रदेशीय एंव केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानो के निर्देशो के अनुरूप कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ डायट मे स्थापित निम्न विभागो एवं उनमें कार्यरत जनशक्ति की कार्यकुशलता एवं निरतर प्रयास को इगित करती है।

डायट के विभिन्न शैक्षिक विभाग एवं स्वीकृत, कार्यरत स्टाफ का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	स्वीकृत पद				कार्यरत	
		उपप्राचार्य / वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक	वरिष्ठ प्रवक्ता	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक
1–	सेवा पूर्व विभाग	01	08	–	–	04	–
2–	सेवारत विभाग	01	02	–	01	01	–
3–	डी0आर0यू0 विभाग	01(उपप्रा0)	04	–	01	02	–
4–	कार्यानुभव विभाग	01	01	01	–	01	01
5–	पाठयक्रम सामग्री विकास एवं मूल्या–कन अनुभाग	01	01	–	–	01	–
6–	शैक्षिक तकनीक	01	01	01	–	01	01
7–	नियोजन एवं प्रबंधन विभाग	01	–	01	01	01	01

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु मुख्य लक्ष्य समूह के निम्न तीन सदस्यो पर आवश्यकता एवं वरियता क्रम अनुसार ध्यान आकृष्ट करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। (1) अध्यापक (2) बालक (3) समुदाय

अतः सर्वप्रथम उपरोक्त समूह के प्रथम महत्वपूर्ण अंग अध्यापक को गुणवत्ता संवर्धन का सर्वप्रथम लक्ष्य मानते हुए निम्न क्रियाकलाप सचालित कराये गये।

डायट के स्थापना के प्रारंभिक चरणों के क्रियाकलाप

क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	लक्ष्य समूह सदस्य नाम	लाभान्वितों की संख्या	संतुष्टि स्तर	डायट विभाग
1–	प्रशिक्षण				
	(i) S.O.P.T.	जनपद के समस्त कार्यरत प्राथमिक शिक्षक	2308	अच्छा	सेवारत
	(ii) संदर्भदाता प्रशि	सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्रा0विद्यालय	41	सामान्य	प्रशिक्षण
	(iii) पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण (विषयवार)	जनपद के गणित एवं विज्ञान विषय के उच्च प्राथमिक अध्यापक	135	सामान्य	विभाग
	(iv) कल्पयोजना प्रशि.	सेवारत प्राथमिक अध्यापक एवम्	100	बहुत अच्छा	
	(v) अनौ0शिक्षा के अन्तर्गत संदर्भदाता प्रशिक्षण ब्लाक संदर्भ–दाता के रूप में	परियोजना अधिकारी SDI/ABSA प्रधानाध्यापक / अध्यापक	56+62=118	अच्छा	

क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	लक्ष्य समूह सदस्य नाम	लाभान्वितों की संख्या	संतुष्टि स्तर	डायट विभाग
	(vi) बी0टी0सी0	चयनित छात्राध्यापक	241	बहुत अच्छा	सेवापूर्ण विभाग
	(vii) विशिष्ट बी.टी.सी.	राज्य स्तरीय बी0एड0 चयनित छात्राध्यापक	225	बहुत अच्छा	.. ..
2–	कार्यशालाएं :–				
	(i)प्राथतिक शिक्षा मे पाठयक्रम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी तीन दिवसीय कार्यशाला मूल्यांकन	प्राथमिक विद्यालय के प्रधाध्यापक	88	सामान्य	सामग्री एवं अनुभाग
	(ii) हिन्दी भाषा वर्तनी सुधार कार्यशाला	लैंड एरिया के 20 विद्यालयों के अध्यापक	40	अच्छा	.. ..
	(iii) अल्प व्ययी शिक्षा सामग्री निर्माण तीन दिवसीय कार्यशाला	प्राथमिक अध्यापक	40	अच्छा	कार्यानुभव विभाग
	(iv) शैक्षिक तकनीकी	जूनियर के प्रधाना–	40	सामान्य	शैक्षिक

प्रशिक्षण एक दिवसीय ध्यापक, अध्यापक
तकनीकि
कार्यशाला विभाग

3-- शोध कार्य
1-- प्राथमिक स्तर के कक्षा 5 की विज्ञान पाठ्यक्रम सामान्य
पाठ्यक्रम
की पुस्तकें के उन अंशों का निर्धारण जिन्हें पढ़ाने में सामग्री
अध्यापक कठिनाई अनुभव करते है।
विकास एव

मूल्यांकन
अनुभाग
2-- प्राथमिक विद्यालयो में छात्रों के नामांकन पर सामान्य
मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का अध्ययन

क्रम सं0	क्रियाकलाप का नाम	लक्ष्य समूह सदस्य नाम	लाभान्वितो की संख्या	सतुष्टि स्तर	डायट विभाग
4--	<u>सर्वेक्षण</u>				
	शैक्षिक तकनीकि संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रदत्त रेडियो, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक तकनीकि कार्यक्रमों हेतु विद्यालयो सर्वेक्षण स्त्रोत -- डायट			बहुत अच्छा	शैक्षिक अनुभाग

उपरोक्त प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, शोध कार्य एवं सर्वेक्षण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक तकनीक एव गुणवत्ता संवर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुए। इन कार्यक्रमो के माध्यम से अध्यापकों में दायित्व बोध एवं कमी के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा शैक्षिक वातावरण में उत्साह का संचार करने में उपरोक्त कार्यक्रम सफल रहे इसके साथ ही जनपद में डायट के अस्तित्व एवं महत्व को अध्यापक समुदाय तक पहुँचाने में इन कार्यक्रमो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जनपद में अप्रैल, 2000 से डी0पी0ई0पी0 तृतीय चरण की योजना का शुभारम्भ हुआ, जिसमें डायट को शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन से अग्रणी भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ। इस योजना के आरम्भ में जनपद में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 के निर्देशन में जनपद के चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 12 और कक्षा 5 के छात्रों की भाषा और गणित की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मापन बेस लाइन सर्वेक्षण द्वारा डायट के द्वारा कराया गया।

बेस लाइन सर्वेक्षण सारणी :–

(क) प्रतिशत मध्यमान (लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार) कक्षा–2 भाषा, गणित

कुल प्रतिशत		लिंग अनुसार बालक		बालिका		जाति अनुसार SC/ST		OBCs		Others	
Mean	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.
64.70	29.54	13.04	5.78	12.82	6.06	12.40	5.63	13.42	5.82	12.72	6.46
73.27	26.28	15.37	5.24	13.85	5.59	14.11	5.47	14.99	5.18	14.78	5.98

(ख) कक्षा – 5 (भाषा, गणित)

कुल प्रतिशत		लिंग अनुसार बालक		बालिका		जाति अनुसार SC/ST		OBCs		Others	
Mean	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.	M	S.D.
52.58	17.55	38.12	11.65	34.92	12.94	35.16	12.56	38.06	12.11	36.85	12.01
36.24	17.23	15.46	6.70	13.10	6.95	15.11	7.47	13.87	6.82	14.77	6.06

उपरोक्त सारणी (क) कक्षा 2 में भाषा और गणित में छात्रों के प्रशित मध्यमान और ण्क्ण को सम्पूर्ण रूप में, लिंग के आधार पर और जाति वर्ग के आधार पर सम्प्राप्ति स्तर को निर्देशित करती है। लिंग और जाति आधार पर छात्रों को सम्प्राप्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है।

सारणी (ख) में कक्षा 5 के विभिन्न वर्गो का सम्प्राप्ति स्तर उन्ही दो विषयो मे परिलक्षित करता है कि एक ओर जहाँ जाति आधार पर सम्प्राप्ति में समानता है वही भाषा और गणित के संप्राप्ति मे पर्याप्त अंतर है और इसी प्रकार बालक और बालिका के सम्प्राप्ति मे भी अंतर पाया जाता है।

कक्षा 2 में भाषा के मध्यमान का प्रतिशत 61 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के दायरे में है। इसी प्रकार गणित में 71 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत जनपद का मध्यमान प्रतिशत पाया गया।

बेस लाइन सर्वेक्षण उपरान्त डी०पी०ई०पी० योजना जनपद मे प्रारम्भ होने के पश्चात जनपद के 14 ब्लाकों मे बी०आर०सी० समन्वयक एवं सह सह समन्वयको तथा 112 एन०पी०आर०सी० समन्वयको की चयन प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा, विचार गोष्ठी एवं साक्षात्कार तीनो माध्यमों द्वारा डायट मे सम्पन्न करायी गयी तथा चयनित सदस्यो की सूचि क्रियान्वयन हेतु जनपद के बी०एस०ए० कार्यालय को प्रेषित की

गई। डी0पी0ई0पी0 योजना जिसे 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' कहा जाता है का मुख्य लक्ष्य चूँकि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अतः समस्त प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि कार्यक्रमों का प्रथम लक्ष्य भी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक ही रहे।

डायट द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का विवरण–

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत डायट द्वारा सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत् है

1– <u>स्कूल विजिनिंग कार्यशाला</u> -

सर्वप्रथम सीमेट में आयोजित 4 दिवसीय स्कूल विजिनिंग कार्यशाला में जनपद की टीम (जिसमें डायट के दो प्रवक्ता, एक ए0बी0एस0ए0, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक) ने प्रतिभाग किया। तत्पश्चात डायट में इसी प्रकार चार–चार दिवसीय विजिनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में A.B.S.A., S.D.I., B.R.C., N.P.R.C. समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। कुल 4 फेरो में यह कार्यशालाएं पूर्ण हुई।

2– <u>सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण</u> :–

जनपद में कार्यरत प्राथमिक अध्यापकों के शैक्षिक गुणात्मक उन्यन हेतु आठ दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण हेतु 'साधन' नामक प्रशिक्षण पैकेज (जो प्रदेशीय परियोजना कार्यालय द्वारा कार्यशालाओं के माध्यम से तैयार किया गया था) का प्रकाशन जनपद में कार्यरत प्राथमिक अध्यापकों की संख्यानुसार डायट द्वारा कराया गया। यह प्रशिक्षण पैकेज दो भागों में छपा —

(1) 'साधन' प्रशिक्षक सदर्शिका (केवल प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ)

(2) 'साधन' विचार पत्रक (शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ)

प्रथम भाग में प्रशिक्षकों हेतु दिशा निर्देश दिये गये कि प्रशिक्षण के पूर्व तथा प्रशिक्षण अवधि में कौन–कौन सी गतिविधियां करनी हैं, प्रतिभागियों का सक्रिय सहयोग प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि में किस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करते हुए प्राप्त करना है और किन–किन बातों, कार्यकलापों से बचना है।

'साधन' के द्वितीय भाग में शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों हेतु सक्रिय क्रिया आधारित कक्षा शिक्षण के विभिन्न आयामों, क्रियाकलापों दिशा निर्देशों को विस्तारपूर्वक निर्देशित किया गया है तथा कक्षा शिक्षण हेतु सहायक सामग्री निर्माण जिसे T.L.M. (Teaching learning material)

नाम दिया गया है के बारे में दिशा निर्देश तथा मंद बुद्धि, विकलांग बालको हेतु विशेष शिक्षण पद्धति के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन भी दिया गया है।

ये दोनों पैकेज आवश्यकता आधारित है। अतः सर्वप्रथम डायट में दस दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से जनपद के समस्त बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा प्रत्येक ब्लाक के एक--एक सह समन्वयकों को उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित करने के पश्चात् सह संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये, जिनका संचालन स्वतंत्र रूप से बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा किया गया तथा प्रशिक्षण हेतु बजट प्रत्येक फेरे हेतु डायट द्वारा निर्गत कराया गया। इसी प्रकार के प्रशिक्षण आगामी वर्षों में भी लगातार संचालित कराने की योजना है।

डायट में शिक्षामित्रों, आचार्य जी एवं अनुदेशकों हेतु भी 30 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराये गये। इन प्रशिक्षणों का संचालन डायट ने इस कार्य हेतु प्रशिक्षित प्रवक्ताओं के माध्यम से किया गया। वर्ष 2001 में कुल 69 शिक्षा मित्र तथा 75 आचार्य जी एवं अनुदेशक (मकतब, मदरसो हेतु) प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

डायट में विगत वर्षो में जूनियर हाई स्कूल हेतु परीक्षा संचालन दिशा में परीक्षा प्रश्नपत्रों का निर्माण तथा परीक्षा अभिलेख तैयार करवाने का कार्य भी संपादित किया जाता रहा है।

डायट मे नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकाओं की समीक्षा एवं अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

समुदाय में शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं जन जागरण की दिशा में भी डायट का सक्रिय योगदान रहा है। इस हेतु डायट ने प्रत्येक ग्राम की ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण हेतु प्रयासा, संकल्प माड्यल के माध्यम से तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक हेतु गठित बी0आर0सी0 (ब्लाक रिसोर्स ग्रुप) के सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये हैं जिनमें सक्रिय समाजसेवी संगठनों के सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

इसके साथ–साथ जनपद में गठित A.R.G. (अकादमिक रिसोर्स ग्रुप) जिसमें डायट प्राचार्य अध्यक्ष, बी0एस0ए0, दो शिक्षा विद्, एक समाजसेवी संगठन का प्रतिनिधि, एक बी0आर0सी0 समन्वयक, और एक महिला एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, एक पुरुष एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा महिला जिला समन्वयक सदस्य होते हैं। इस ग्रुप का गठन एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मासिक बैठकों का आयोजन डायट में डायट द्वारा किया

जाता है। इन मासिक बैठकों में जनपद में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा के साथ–साथ आगामी एकेडमिक कार्यक्रमों, शैक्षिक उन्नयन हेतु नवाचार की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात् आगामी बैठक के भावी एजेंडे पर विचार किया जाता है। प्रत्येक मासिक बैठक की समाप्ति पर कार्यवृत तैयार किया जाता है।

डायट में प्रत्येक माह बी0आर0सी0 समन्वयको की मासिक बैठक भी आयोजित की जाती है। इन मासिक बैठकों में विचारणीय बिंदू कुछ इस प्रकार के होते हैं:–

(1) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति।

(2) शिक्षक सन्दर्शिकाओं के प्रयोग की स्थिति।

(3) विद्यालयों मे उपलब्ध निर्माण की स्थिति।

डी0पी0ई0पी0 तृतीय योजना के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप :–

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये ।

(1) सेवारत प्रशिक्षण	1886
(2) बी0आर0सी0 प्रशिक्षण	14
(3) एन0पी0आर0सी0 प्रशिक्षण	112
(4) शिक्षा मित्र प्रशिक्षण डी0पी0ई0पी0 / वैत्तिक	621
(5) आचार्य अनुदेशक प्रशिक्षण	128
(6) समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	2 ब्लाक
(7) आगंनवाडी प्रशिक्षण	100

इसके अतिरिक्त डायट ने जनपदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण हेतु डायट में कार्यरत प्रत्येक प्रवक्ता को जनपद के प्रत्येक चौदह ब्लाक हेतु मेंटर नियुक्त किया है। ब्लाक मेंटर अपने–अपने ब्लाक में निम्न कार्य करेंगे:–

1– ब्लाक समन्वयको को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करेगें।

2– ब्लाक के प्राथमिक विद्यालयो का शैक्षिक अनुश्रवण करेगें।

3– राज्य सरकार के राजाज्ञा के अनुसार स्कूलो का श्रेणीकरण स्वयं करेगें एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों से करायेगें।

4– प्रत्येक विद्यालय को 'ए' श्रेणी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता एवं दिशा निर्देश प्रदान करेगें।

5– ब्लाक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर सम्पादित सभी शैक्षिक कार्यक्रमो का अनुश्रवण करेंगे।

6– विभिन्न वांछित सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे।

उपरोक्त शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त डायट का प्रतिनिधित्व जनपद की अन्य शैक्षिक गतिविधियों एवं सामाजिक कार्यक्रमों मे भी रहा। इनका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– साक्षरता कार्यक्रम :–

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जनपद जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियो मे डायट प्राचार्य के नेतृत्व मे डायट के बी0टी0सी0 छात्र, छात्राओं ने सक्रिय योगदान किया। इसी तारतम्य में दुनका (बिहार) से आये दल ने प्रशिक्षण डायट में ही प्रदान किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राचार्य की अध्यक्षता मे प्रदान किया गया।

2– <u>स्कूल चलो अभियान</u> :–

विगत दो वर्षो से जुलाई माह में स्कूल चलो अभियान के तत्वाधान मे होने वाले जन जागरण कार्यक्रमों, सूक्ष्म नियोजन, स्कूल मैपिंग ग्राम सर्वेक्षण आदि विभिन्न कार्यक्रमो मे डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे। बी0टी0सी0 छात्र–छात्राओ ने सक्रिय योगदान प्रदान किया।

उपरोक्त विवरण और भावी योजनाओ के आधार पर जनपदीय डायट की सम्पूर्ण भूमिका का संक्षिप्त विवरण निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है–

1– अकादमिक
2– क्षमता विकास
3– गुणवत्ता सुधार
4– शिक्षण सामग्री विकास
5– शोध एवं मूल्यांकन
6– कम्प्यूटर प्रशिक्षण
7– आकड़ो के विश्लेषण का प्रशिक्षण
8– मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा
9– सामुदायिक सहयोग जनजागरण

अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों मे अध्यापको की कमी होने के कारण लगभग 90 प्रतिशत से अधिक शिक्षक एक समय मे एक से अधिक कक्षाए संभालने पर विवश है। इसके

साथ–साथ विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अध्यापकों को विभिन्न सूचनाएं तैयार करके विभाग को भेजना पड़ती है और कभी–कभी राष्ट्रीय कार्यों जैसे चुनाव, जनगणना एवं पल्स पोलियो जैसे कार्य भी करने पड़ते है। डायट द्वारा विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार अध्यापकों को न्यूनतम 160 कार्य दिवस ही मिल पाते है। विवरण निम्न प्रकार है :–

1–	कुल कार्य दिवसों की संख्या	220 दिन
2–	अतिरिक्त कार्यों में व्यय कार्य दिवस	60 दिन
3–	कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्ध कार्य दिवस	160 दिन
4–	नवीन पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 1 से 5 तक कुल पाठ	254 पाठ
5–	कक्षा 3 से 5 तक अंग्रेजी और संस्कृत कुल पाठों की संख्या	72 पाठ
6–	कक्षा शिक्षण हेतु कुल वादन	1260 वादन
7–	वादन संख्या प्रति पाठ	4 वादन लगभग

स्त्रोत :– डायट

अतः उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार एक पाठ हेतु औसतन 4 वादन ही का समय अध्यापकों को उपलब्ध हो पाता है उसमें भी एक अध्यापक जब एक वादन में एक से अधिक कक्षाएं देखता है तो प्रति कक्षा यह समय और भी कम रह जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अध्यापकों से शैक्षिक सम्प्राप्ति की अपेक्षा करना कल्पना की उड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः इस व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है।

डायट द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह बात भी परिलक्षित हुई कि जनपद के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में समय विभाग चक्र के अनुसार कार्य प्रायः नहीं होता और भाषा और गणित शिक्षण हेतु पर्याप्त समय नहीं उपलब्ध होता है।

उपरोक्त विसंगति के बारे में अध्यापकों से वार्तालाप करने पर अधिकांश अध्यापकों ने अतिरिक्त कार्य का बोझ होना उपरोक्त का महत्वपूर्ण कारण स्वीकार किया। साथ ही समाज से से वांछित सहयोग शिक्षा और विद्यालय के प्रति उदासीनता की भावना के कारण समय पर और सम्पूर्ण समय छात्रों का विद्यालय में उपस्थित न रहना जैसे अन्य कारणों को भी उपरोक्त के लिए जिम्मेदार माना।

समुदाय के सदस्यों से उपरोक्त विषय संबंधी वार्ता करने पर सदस्यों ने विद्यालय से अत्याधिक सकारात्मक, आदर्श अपेक्षाएं होने की बात स्वीकारी और विद्यालय और

अध्यापको को उन कसौटियों पवर पूरा न उतरने के कारण विद्यालय से उदासीनता का व्यवहार होने को स्वीकार किया।

एक ओर जहां अध्यापक जन समुदाय से सदभावना, प्रेम, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं वहीं दूसरी ओर समाज अध्यापकों से आदर्श, चरित्रवान, कर्तव्यपरायण, समय पालक होने की जिज्ञासा प्रकट करता है। ऐसी परिस्थितियों मे अध्यापक और समाज को एक दूसरे के निकट लाने के लिए विद्यालय संस्कृति, कक्षा संस्कृति में निम्न परिवर्तनप करने की आवश्यकता है :–

1– समुदाय में शिक्षा और शिक्षकों के प्रति व्याप्त उदासीनता को दूर करने हेतु जन चेतना जागृत करें।

2– अध्यापको को अध्यापन कार्य हेतु अधिक समय उपलब्ध करायें।

3– विद्यालय का भौतिक वातावरण आकर्षक, सुविधा सम्पन्न बनायें।

4– कक्षा शिक्षण क्रिया आधारित, सुगम, सहज और छात्रों के सीखने के स्तर के अनुरूप हो।

5– विभिन्न सक्रिय समाजसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा उन्हे कार्य के प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, ग्रामीण समितियों को समय–समय पर पुरस्कृत करें।

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण देश मे एक समान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम को 'सर्व शिक्षा अभियान' का नाम दिया गया है।

जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सम्वर्द्धन सम्बन्धी क्रिया कलाप

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण</u> :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सेट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S- Systematic

A- Approach

T- Training

I- Identification (पहचान)

N – Need (आवश्यकता)

D- Designing & Planning (डिजाइनिंग एवं योजना)

I- Implemination (क्रियान्वयन)

A – Assessment (मूल्यांकन)

इसमें बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय, स्कूल स्तरीय, अभिकर्मियों की भागीदारी, शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, वर्तमान स्थिति एवं बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष तय किए जायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन कार्यशालाओं का आयोजन शिक्षकों हेतु न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों में कौशल में अभिवृद्धि एवं दक्षता तथा विषय ज्ञान को बढ़ाने हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सतत् प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। इस अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर लघु अवधि के प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डी.पी. ई.पी. के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूति आवश्यकताओं यथा– बहु कक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग के आलोक में शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों को बहु कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण बी.आर.सी. स्तर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर दिया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महिनों में आयोजित होगा जिसके लिए प्रशिक्षण का एजेण्डा डायट द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों हेतु अभिलेखीकरण का उत्तरदायित्व क्रमशः बी.आर.सी. समन्वयक एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयक का होगा। इनका अनुश्रवण डायट के मेन्टर द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय पर केन्द्रित प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण भी दस दिवसीय पूर्व की भाँति होगा।

सर्वशिक्षा अभियान के तृतीय वर्ष में विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दु विषय के शिक्षण पर बल देते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण भी पूर्व की भाँति दस दिवसीय होगा।

अभियान के चौथे वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में एन.पी.आर.सी. पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। अभियान के पाँचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षो के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा जिसमें पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिए गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण–

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों (परिषदीय, मान्यता प्राप्त) तथा इण्टरमीडिएट कॉलेजों के 6 से 8 तक का शिक्षण करने वाले प्रधान अध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्ग प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना–

	वर्ष 2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कार्यशाला / सेमिनार प्रथमिक	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित प्रशिक्षण 3. टी.एल.एम. कार्यशाला 4. बालिका शिक्षा, नामांकन ठहराव पर कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला 3. बालिका शिक्षा, नामांकन ठहराव पर कार्यशाला	4. आवश्यकताओं का आकलन 5. टी.एल.एम. कार्यशाला 6. बालिका शिक्षा, नामांकन ठहराव पर कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला 3. बालिका शिक्षा, नामांकन ठहराव पर कार्यशाला
कार्यशाला / सेमिना उच्च प्रथमिक	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित प्रशिक्षण 3. टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. टी.एल.एम. कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राथमिक	1. प्र.अ. प्रशिक्षण 2. रोस्टर प्रशिक्षण 3. मूल्यांकन 4. सहायक सामग्री निर्माण	1. प्र.अ. प्रशिक्षण 2. रोस्टर प्रशिक्षण 3. मूल्यांकन 4. सहायक सामग्री निर्माण	1. प्र.अ. प्रशिक्षण 2. रोस्टर प्रशिक्षण 3. मूल्यांकन 4. सहायक सामग्री निर्माण	1. प्र.अ. प्रशिक्षण 2. रोस्टर प्रशिक्षण 3. मूल्यांकन 4. सहायक सामग्री निर्माण
उच्च प्राथमिक	1 गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2 विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण	1 अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण 2 संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण	1. समाज अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण 2 पर्यवेक्षण अनुश्रवण	1. हिन्दी एवं सामान्य विज्ञान प्रशिक्षण 2 पर्यवेक्षण अनुश्रवण
क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए. / एस. डी आई. का प्रशिक्षण क्षमता में अनुभूति समस्याओं पर	ए.बी.एस.ए. / एस. डी आई. का प्रशिक्षण क्षमता में अनुभूति समस्याओं पर	ए.बी.एस.ए. / एस. डी आई. का प्रशिक्षण क्षमता में अनुभूति समस्याओं पर	ए.बी.एस.ए. / एस. डी आई. का प्रशिक्षण मूल्यांकन
बी.आर.सी. / एन.पी. आर.सी. समन्वयक का प्रशिक्षण	बी.आर.सी / एन.पी. आर.सी. समन्वयक का प्रशिक्षण विद्यालयों की समस्याओं पर	बी.आर.सी / एन.पी. आर.सी. समन्वयक का प्रशिक्षण विद्यालयों की समस्याओं पर एवं हल हेतु	बी.आर.सी. / एन.पी. आर.सी. समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव व आकलन	मूल्यांकन

जनपद स्तर पर क्रियात्मक शोध एवं नवाचार–

शोध एवं अध्ययन :

किसी भी कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पहले हमें वास्तविक स्थिति के अध्ययन की आवश्यकता होती है। उसके अध्ययन के परिणामों के आधार पर ही हम भावी योजनाओं का निर्माण करते है और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु निवेश करते हैं। सही स्थिति की जानकारी न होने से किया गया निवेश निरर्थक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक सम्प्राप्ति नहीं होती। योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात उसकी प्रगति जानना भी आवश्यक होता है। इसके परिणामस्वरूप हमें मध्यावधि में भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन परिणाम के आधार पर हम अपनी योजना के स्वरूप में परिवर्तन एवं संशोधन करते हैं ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। योजना का परिणाम क्या रहा? इसके अध्ययन के लिए योजनावधि के अन्त में भी मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी प्रकार के मूल्यांकन का अध्ययन विभिन्न परीक्षणों, प्रश्नावलियों एवं अनुसूचियों के माध्यम से करते हैं। सफलतापूर्वक अध्ययन पूर्ण करने के लिए कुशल एवं दक्ष सर्वेक्षणों की आवश्यकता होगी। संस्था का प्रयास होगा कि संस्थान अपने निकाय सदस्यों में इन दक्षताओं और समताओं का विकास कर सके। इसके लिए संस्थान के अनुभवी प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन कर उन्हें पूर्ण दक्ष बनाया जायेगा, जिससे कि वे सर्वेक्षण हेतु मानक उपकरणों का विकास कर सकें।

- स्वयं सर्वेक्षण का प्रशिक्षण दे सकें।
- सर्वेक्षण में मार्ग दर्शन कर सकें।
- आकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण कर सकें।
- आकड़ों एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आकड़ों एवं सूचनाओं का विश्लेषण कर परिणाम निकाल सकें।
- परिणामों से शिक्षकों, अधिकारियों एवं अभिकर्मियों को अवगत करा सकें।
- परिणामों के आधार पर जिले एवं विद्यालय की योजना का निर्माण कर सकें।

संस्था को पूर्ण विश्वास है कि वह इन कार्यों को पूरा करने में अपने सदस्यों को पूर्ण दक्ष एवं कुशल बना सकें। इसके अतिरिक्त जिला एवं विकास खंड स्तर पर 20–25 व्यक्तियों का ऐसा संगठन गठित कर सकेगा जो आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन कर ले।

संस्थान के कम्प्यूटर में ऐसी सभी सूचनाओं एवं आकड़ों का संग्रह रहेगा जिसके आधार पर भविष्य में अपने कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से गुणवत्तपूर्वक जारी रख सकेगा।

<u>शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण सहायक सामग्री का विकास (T.L.M. & T.L.A.)</u>

संस्थान शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने एवं कराने में पूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त कर ले। इसके लिए डायट संकाय सदस्यों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर दिया जायेगा।

विभिन्न विषयों की नवीनतम पाठ्यपुस्तको के प्रकरणों के आधार पर शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करा दिया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय को मिलने वाले शिक्षक अनुदान से विषयवार टी.एल.एम. एवं टी.एल.ए. का निर्माण करा दिया जायेगा। इसके साथ ही बी.आर.सी. समन्वयकों, सह समन्वयकों, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को भी टी.एल.एम. एवं टी.एल.ए. निर्माण हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर दिया जायेगा। संस्थान का यह प्रयास होगा कि टी.एल.एम एवं टी.एल.ए. निर्माण एवं प्रयोग के बारे में डायट संकाय सदस्यों को इतना दक्ष बना दिया जाये कि वे पाठ्य पुस्तको के परिवर्तन की स्थिति एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्य सामग्रियो हेतु टी.एल.एम. एवं टी.एल.ए. का निर्माण करा सके।

स्थानीय आधार पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अल्प व्ययी शिक्षण सहायक सामग्री एवं बिना मूल्य के शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण में भी पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ले ऐसा पूरा प्रयास होगा।

डायट का सामन्वयन

1- डायट का जनपद के निम्नलिखित विभागों एवं संस्थाओं से शैक्षिक उन्नयन सम्प्राप्ति हेतु नियमित रूप एवं सह संबंध स्थापित रहेगा --

1- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी।

2- जिला बेसिक शिक्षा विभाग ।

3- जिला साक्षरता समिति ।

4- जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)

5- जिला अर्थ एवं संख्या विभाग ।

6– जिला सूचना विभाग ।

7– जिला चिकित्सा विभाग ।

8– जिले के प्रबन्धकीय सूचना तंत्र विभाग ।

9– शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाएं ।

10– वन विभाग ।

11– विभिन्न लघु उद्योग केन्द्र ।

12 जिला उद्यान विभाग ।

13 जिला फल संस्थान विभाग ।

14 जिला पूर्ति विभाग ।

15– जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ।

16– जिले की उच्च शिक्षा संस्थाएं

'2– जिले से बाहर निम्न स्तरों पर शैक्षिक उन्नयन की सम्प्राप्ति के लिए नियमित संवाद, राह संबंध स्थापित करना ।

(क) मण्डल स्तर पर ––

1– संयुक्त शिक्षा निदेशक ।

2– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

3– अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं ।

(ख) राज्य स्तर पर ––

1– राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ।

2– राज्य शिक्षा संस्थान ।

3– राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ।

4– राज्य संदर्भ केन्द्र ।

5– राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान ।

6– राज्य शिक्षा परियोजना निदेशालय ।

7– राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)

9– A.T.I.

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर --

1– N.C.E.R.T.

2– N.E.E.P.A.

3– R.I.

4– N.C.T.E.

5– भारतीय भाषाओं प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर, दिल्ली, अजमेर, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा ।

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के समग्र विकास की आधारशिला है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन–जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में 2001 से पूर्व यद्यपि बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापरक बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा आदि अनेक परियोजनायें चलायी गयी पर ये अपने उद्देश्य में कतिपय कारणों से पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। वर्तमान में भी जनपद में "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" वर्ष 2000–2001 से संचालित है। विश्व बैंक पोषित इस योजना का लक्ष्य पांच वर्ष में 6–11 वय वर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन व विद्यालय के भौतिक वातावरण का सुधार कर बेसिक शिक्षा का गुणवत्ता सवर्धन करना है। यह योजना मात्र 6–11 वय वर्ग के बच्चो के लिए है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र सीमित है।

'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' का वृहद स्वरूप 'सर्व शिक्षा अभियान' है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वय वर्ग के बच्चों को उपयोगी, गुणवत्तापरक तथा व्यवहारिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के द्वारा ऐसा शैक्षिक नियोजन व प्रबन्धन करना है जिससे समाज में बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूकता व जिम्मेदारी की भावना का विकास हो। सरकार के सत्ता–विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिससे पंचायती राज संस्थाओं की इस योजना में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं सेवी कलाकारों, महिला, संगठनों आदि को सम्मिलित कर उत्तरदायित्व के क्षेत्र का विकास किया जायेगा।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए 'सर्वशिक्षा अभियान' की दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक कार्य योजना के नियोजन कार्य की शुरूआत दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 2001 को इलाहाबाद में सीमेट (State Institute for Education Management and Training) में आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी द्वारा हुई। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर से जिला उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, उपलेखाधिकारी (डी0पी0ई0पी0), एक प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य व उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। सर्वशिक्षा अभियान योजना के जिला स्तरीय नियोजन के समस्त बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश देते हुए व्यापक चर्चा की गयी। इस गोष्ठी को राजिव बेसिक शिक्षा श्री नेतराम, निदेशक सीमेट श्री कृष्णमोहन त्रिपाठी व निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 श्री भारदेन्दु ने संबोधित किया।

सीमेट इलाहाबाद मे आयोजित गोष्ठी मे प्राप्त मार्ग निर्देशन के अनुपालन में जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिन्हे योजना निर्माण का उत्तरदायित्व सौपा गया।

जनपद पर कार्ययोजना निर्माण हेतु गठित समिति

क्र0सं0	नाम अधिकारी	पद नाम
1.	श्री रविदत्त	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर
2.	श्री संजय कुमार शर्मा	सहायक लेखा अधिकारी (डी0पी0ई0पी)
3.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	जिला समन्वयक
4	श्री विश्वास कुमार	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
5.	श्री शिवकुमार	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
6.	श्री प्रकाश चन्द	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक

तथा उक्त समिति में जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा प्रवक्ता श्री रहमान को नामित किया गया। समिति के समस्त सदस्य प्रतिदिन विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ विचार--विमर्श एवं प्रगति की समीक्षा करते थे। निर्माण की गयी योजना की जांच व आवश्यक दिशा--निर्देश देने हेतु पुन. सीमेट में एक कार्य शाला दिनांक 10 व 11 दिसम्बर को आहूत की गयी। जिसमें जनपद के विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी तथा दो प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रमो की लागत एवं दरों को सारणी के माध्यम से समझाया गया। एक सोफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया जिसमें भौतिक लक्ष्य भरने के बाद समस्त सारणी गणना सहित प्राप्त होती है।

अधिकांश पूर्व संचालित कार्यक्रमो की सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि इनके नियोजन की प्रक्रिया या तो ऊपर से थोप दी गयी या जनपद स्तर पर किंचित लोगों के पारस्परिक विचार–विमर्श से निर्मित की गयी। फलतः लक्ष्य दूर होता चला गया, ऐसी स्थिति में यह अनुभव किया जाना स्वाभाविक हो गया कि नियोजन की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर ऊपर तक जाये और नियोजन की प्रक्रिया निम्नतम स्तर, बस्ती, ग्रामों के लोगों विशेषतः अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि से वैचारिक परामर्श कर बनाई जाए।

इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर मे 'सर्व शिक्षा अभियान' को सार्थक एव सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से ग्राम/बस्ती स्तर पर योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात् विकास खण्ड और जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चो को विद्यालय लाया जा सके। जिले में परियोजना नियोजन हेतु –

1– ग्राम/बस्ती मे फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया तथा अध्यापकों द्वारा घर–घर जाकर प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया।

2– विकास खण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा ग्राम गणना से प्राप्त आकड़ों का संकलन व सारिणीकरण किया गया।

3– जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे बैठक का आयोजन किया गया तथा विकास खण्डों से प्राप्त आकड़ो से सम्पूर्ण जनपद के आकड़ो का संकलन व सारिणीकरण किया गया।

बिन्दु ... और ... के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष तथा क्षेत्र विशेष की बुनियादी शिक्षा से संबंधित समस्याएं उभरकर आ सकें और उन्हीं के प्रयास से समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके।

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में एन.पी.आर.सी. तथा अध्यापकों के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान पूर्णतः सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करता है। यह योजना गाँव / बस्ती की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम समुदाय के सहयोग से तैयार की जानी है। योजना के क्रियान्वयन व मूल्यांकन में भी ग्राम समाज का सक्रिय सहयोग रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं को इस अभियान में पर्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे। स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों तथा महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

तत्पश्चात प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम पंचायत सदस्यों, छात्रों के अभिभावकों, नवयुवक मंगल दल व अन्य समाजसेवी लोगों की बैठक आयोजित की गयी। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में ग्राम / बस्ती विशेष की बुनियादी शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं, समस्याओं व उनके निराकरण के संबंध में व्यापक चर्चा की गयी। इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर महिलाएं, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, और किस प्रकार से इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर तथा न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार की 112 बैठकें आयोजित की गयीं। इन बैठकों में प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो समस्यायें मुख्य रूप से उभर कर सामने आयीं वे निम्न प्रकार हैं

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी।
2. विद्यालय भवन का पर्याप्त न होना।
3. विद्यालय में भौतिक सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, फर्नीचर आदि का अभाव।
4. अध्यापकों का अन्य सरकारी कार्यों जैसे पल्स पोलियो, जनगणना, चुनाव आदि में संलग्न रहना।
5. विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति।
6. [illegible]
7. [illegible] में जागरूकता का अभाव।
8. माता पिता आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चों को कम उम्र में ही किसी काम धंधे में लगाना।
9. समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।

...सारी प्रकार समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस अभियान में सम्मिलित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त 14 विकासखण्डो मे ब्लाक स्तर की बैठकें आयोजित की गयी। इन गोष्ठियों मे खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधानों तथा जनप्रतिनिधियों जैसे जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सहायक आदि ने सक्रिय भाग लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशन मे आयोजित इन गोष्ठियों मे भी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र मे वांछित परिवर्तन व सुधार, प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं व समस्याओं के निराकरण की रणनीतियो पर विचार विमर्श किया गया। इस श्रृखला के अंत में जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे एक गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमे स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सूचना विभाग आदि के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जनप्रतिनिधियो, स्वैच्छिक संगठनों आदि का सहभाग भी उल्लेखनीय रहा।

नियोजन प्रक्रिया मे सामुदायिक सहभागिता के उद्देश्य से विभिन्न स्तरो पर आयोजित इन गोष्ठियो का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	विचार–विमर्श में उभरे बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण
1	न्याय पंचायत	20.11.01	रेई (सदर)	ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य न्याय पंचायत समन्वयक, प्रधानाध्यापक अभिभावक आदि	1-- छात्र संख्या के अनुरूप अध्यापक नियुक्त किये जाये। 2- प्रत्येक विद्यालय की चार-दीवारी की जाये । 3-- छात्रवृत्ति वितरण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाये जिससे छात्रवृत्ति प्राप्त कर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। 4--हर विद्यालय मे -प्रधानाध्यापक नियुक्त होना चाहिए। 5- अध्यापको व अभिभावको मे निरन्तर सम्पर्क रहना चाहिए। 6- विद्यालयो मे अध्यापको ~~की नियुक्ति विषय के~~

			अनुरूप हो।
दिनांक 21.11.01 [illegible]	सहायली (सदर)		1– छात्रो मे रूचि जागृत करने हेतु विद्यालय मे समय–समय पर खेलकूद व साम्स्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो। 2– छात्रवृत्ति नकद धन के रूप मे न देकर वर्दी व पुस्तको के रूप मे दी जाये। 3– प्रत्येक विद्यालय मे बालिकाओ के लिए अलग शौचालय की सुविधा हो। 4– प्रत्येक माह अध्यापक-अभिभावक गोष्ठी आयोजित हो । 5 - प्रत्येक विद्यालय मे सहायक शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा मे हो। 6 - अध्यापको से अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाय।
दिनांक 21.11.01 पंचायत [illegible]	दूधली (चरथावल)	ग्राम प्रधान न्याय पंचायत समन्वयक, छात्रो के अभिभावक, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक	1– प्रत्येक कक्षा के लिए अलग कक्षा होना चाहिए। 2– प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक अवश्य हो। 3 - अध्यापक की तैनाती उसके निवास के निकट हो जिससे वह समय पर विद्यालय उपस्थित हो। 4– अध्यापक से शिक्षणेत्तर कार्य न लिए जाये। 5– प्रत्येक विद्यालय मे कम से कम एक महिला अध्यापक

अवश्य नियुक्त हों।

4 ब्लाक 22.11.01 [illegible] ब्लाक प्रमुख [illegible] 1 विद्यालय भवन तथा [illegible] आवश्यक भौतिक सुविधाओं [illegible] प्रत्येक विद्यालय [illegible] 2-

[illegible]

[illegible] के लिए

[illegible] की भर्ती की जाना चाहिए।

[illegible] 3 सहायक [illegible] शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर लिपिक की नियुक्ति का

[illegible]

चाहिए।

4 [illegible]

[illegible]

निरन्तर बना रहना चाहिए।

5 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

चाहिए।

6 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5 [illegible] 20.11.01 [illegible] ग्राम प्रधान प्रधानाध्यापक 1 विद्यालय भवन की

[illegible]

[illegible] [illegible] सदस्य [illegible] की आवश्यकता।

[illegible] ग्राम शिक्षा समिति के 2 अध्यापकों की कमी,

[illegible]

सदस्य अभिभावक आदि। 3 छात्रवृत्ति सभी वर्गों व

जाति के छात्रों को देने की

[illegible]

की गयी।

4 छात्रवृत्ति या [illegible]

प्राप्त कर विद्यालय से

[illegible]

[illegible] वाले छात्रों को घर-घर

जाकर वापस लाने के प्रयास

करने पर बल।

5 अध्यापकों से शिक्षणेत्तर

कार्य न लेने की माँग की

गयी।

6 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 विद्यालय भवन [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] 2 [illegible]

[illegible] निरीक्षण। कक्षों व अध्यापकों की

[illegible]

[illegible] की जाय।

[illegible] 3 छात्रवृत्ति वितरण [illegible]

ग्राम प्रधान [illegible] सत्र के अन्त में हो।

आदि 4 अध्यापकों से शिक्षण के

अतिरिक्त अन्य कार्य न

[illegible]

[illegible]

5 [illegible] [illegible]

करना

असुरक्षा की भावना खत्म करने के लिए उन्हें उनके गाँव में निकट के गाँव में नियुक्त करना चाहिए।

[illegible] पंचायत [illegible]

ग्राम पंचायत समन्वयक ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानाध्यापक सहायकअध्यापक अभिभावक आदि

1 - बड़े गाँवों में दो प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।

2 अल्पसंख्यक बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए प्रयत्न हो।

3 राजनीतिक दबावों में अध्यापकों के स्थानान्तरण में रोक लगे।

4 अध्यापक प्रशिक्षण से अतिरिक्त कार्य विद्यालय में न करें।

विशेष

[illegible] बालिकाओं [illegible]

[illegible] 1 गरीबी के कारण

[illegible] 2 [illegible]

[illegible]

सज्जा व सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव है।
6. अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना।

[illegible]	न्याय पंचायत [illegible]	21.11.01	ककरावी (माल्टा)	न्याय पंचायत समन्वयक, सह समन्वयक ग्राम, प्रधान प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अभिभावक	1. ग्रामीण विद्यालयों में सुविधा न होने के कारण [illegible] की व्यवस्था नहीं की जा [illegible] इसलिए बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए भवन की छतें पर्याप्त ऊँचाई पर होनी चाहिए। 2. विद्यालय में समाचार पत्र [illegible] पत्रिकाएं आदि निरन्तर मंगाई जाएं। जिससे अध्यापकों व छात्रों के सामान्य ज्ञान में [illegible] हो सके। 3. माह में एक बार [illegible] अभिभावक गोष्ठी होनी चाहिए। 4. [illegible] दी जानी चाहिए।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. अध्यापक [illegible] नियुक्त न किये जाएं।

सहायक बेसिक शिक्षा 2- अध्यापकों का
समय समय
अधिकारी पर प्रशिक्षण हो।
3 ग्राम प्रधान अनपढ़ या
पढ़े-लिखे होने के कारण
शैक्षिक कार्यों मे सहयोग नही
कर पाते।
4- छात्रवृत्ति नकद न दी
जाय
इसके स्थान पर बच्चो को
पाठ्य पुस्तकें, अन्य शिक्षण
सामग्री व वर्दी आदि उपलब्ध
कराये।

11 [illegible] [illegible] गोरखपुर [illegible] प्रमुख सहायक 1 प्रत्येक ग्राम व बस्ती मे
[illegible] [illegible] शिक्षा अधिकारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय की सुविधा
नगर [illegible] आरक्षी हो।
गोरखपुर अध्यक्षा महिला 2 अल्पसंख्यक वर्ग की वे
सेवा समिति सुपरवाईजर बालिकाये जो किसी
कारणवश
[illegible] विद्यालय न जा सकी हो
[illegible]
लिए शिक्षा की कोई
[illegible]
व्यवस्था हो।
3 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] मजदूर [illegible] के
बच्चो के लिए भी शिक्षा की
सुविधा की जानी चाहिए।
4 विद्यालयो का [illegible]
निरीक्षण
[illegible] किया जाये।
5 शिक्षा विभाग के [illegible]

स्थानीय अधिकारियों के लिए
कार्यालय व वाहन की उचित
व्यवस्था की जाये। जिससे
निरीक्षण प्रभावी हो सके।

12 [illegible] 26.11.01 बुढ़ाना [illegible] प्रमुख अतिरिक्त 1 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय
[illegible] [illegible] सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप [illegible] [illegible] खुलने चाहिए।
2 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की माँग।
3 प्रत्येक विद्यालय की [illegible] विद्यालय निरीक्षक चारदीवारी हो।
4 जर्जर/ध्वस्त भवनों का पुनर्निर्माण किया जाये।
5 प्रत्येक विद्यालय में शौचालय निर्माण किया जाये।

13 [illegible] [illegible].11.01 [illegible] [illegible] प्रमुख [illegible] 1 [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ग्राम प्रधान [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाए।
2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता है।

14 [illegible] [illegible].11.01 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

					अभियान चलाया जाये। 3- अभिभावकों से निरंतर सम्पर्क रखना चाहिए। 4- छात्रों का ड्राप आउट कम करना चाहिए।
15	ब्लाक स्तर	23.11.01	शामली	खंड विकास अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान	1- शिक्षा में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण स्तर का गिरना। 2- ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह हो। 3- शासन की ओर से बालिकाओं की शिक्षा हेतु जिम्मेदारी निश्चित की जाये। 4- भट्टों व गन्ना क्रेशरों पर मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो ।
16	ब्लाक स्तर	21.11.01	थानाभवन	खंड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष प्रा० शिक्षक संघ ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक ग्राम प्रधान प्रधानाध्यापक	1 प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय [illegible] 2 राजनैतिक हस्तक्षेप कम करने के लिए अध्यापकों की तैनाती उनकी तहसील से बाहर की जाय। 3 अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम में बालिका शिक्षा हेतु [illegible] की महिला को नियुक्त किया जाये।

प्रेषक [illegible] समस्त
[illegible] सुविधाओं से लैस

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर [illegible]
अधिकारी [illegible]
[illegible] विकास
[illegible] अधिकारी [illegible]
[illegible] अधिकारी जिला बेसिक
शिक्षा अधिकारी उपबेसिक शिक्षा
अधिकारी समस्त सहायक बेसिक
शिक्षा अधिकारी प्राथमिक [illegible]
निरीक्षक [illegible]
समस्त जिला समन्वयक [illegible]

स्कूल चलो अभियान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जुलाई माह में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके सन्दर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में [illegible] को स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक बैठक आहूत की गयी जिसमें शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

प्रथम चरण [illegible] स्कूल चलो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शिक्षा [illegible] [illegible]

[illegible] ग्राम [illegible] किया जिसके द्वारा प्रत्येक ग्राम व बस्ती के 6–14 [illegible] वर्ष [illegible] तत्पश्चात कुल बच्चों को 6 11 व 11 14 वर्ष वर्ग में [illegible] स्कूल जाने [illegible] व स्कूल न [illegible] बच्चों की जानकारी प्राप्त की गयी।

बाल गणना वर्ष 2001

क्र.सं.	आयु वर्ग	कुल बच्चे			स्कूल जाने वाले			स्कूल न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	6 11	247959	[illegible]	[illegible]	247238	220286	467524	721	1145	1866

द्वितीय चरण

"स्कूल चलो अभियान" के द्वितीय चरण में स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन के लिए प्रयास किये गये। इसके लिए अध्यापकों ने स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उन्हें बच्चे के स्कूल में नामांकन हेतु प्रेरित किया। [illegible] गया। न्याय पंचायत स्तर पर इस [illegible] किया गया। विकास खण्ड स्तर तथा जनपद [illegible] की प्रगति का अवलोकन [illegible] शिक्षा समिति के सदस्यों से भी सहायता ली गयी। [illegible] अभिभावकों से सम्पर्क कर समझाने के लिए [illegible] गया। इसके परिणाम [illegible] नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

[illegible] बच्चों की संख्या को देखते हुए नामांकन का कार्य [illegible] जुलाई तक [illegible] जिसके फलस्वरूप विद्यालय में जाने [illegible] 6 14 वर्ष वर्ग के कुल 59879 बच्चों में से 58057 का नामांकन [illegible] गया। इस प्रकार अब भी 6 14 [illegible] 1246 [illegible] स्कूल न जाने वालों की [illegible] इसका [illegible]

[illegible]

अध्याय – 10
परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जवाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीला प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अधिक प्रभावी प्रयोग करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है

निर्णयकर्ता समितिया
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0डी0
राज्य परियोजना कार्यालय
एस0सी0ई0आर0टी0
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
ब्लाक अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक

सांगठनात्मक ढांचा–नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है :–

समिति का स्वरूप निम्नवत् हैं :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थिति बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ङ) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य

कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिससे विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य सामरा संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकारी एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन.पी.आर.सी.) :-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संबंधित प्रभारियों की नियुक्ति।

कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उन विद्यालय निरीक्षक सदस्य – सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में

समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सारूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित

करना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययन रत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/– प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) :-

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना न संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों के एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों की नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत् है-

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य-सचिव
प्राचार्य डायट	–	सदस्य
जिला अग्र अधिकारी	–	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
अधिशासी अभियंता (आर.ई.एस.)	–	सदस्य
अधिशासी अभियंता (पी0डब्ल्यू0डी)	–	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)	–	सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिए)

दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकारी एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संदर्भ में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिए तकनीकि पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिए सभी कार्य इस समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन सर्व शिक्षा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :–

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है :–

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे–

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस. अधिकारी	1 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3 रू0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद

7.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सस्टेनेबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं हैं। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति–उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग से पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0. 1,000/–, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0

200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0) :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डाटा साफ्टवेयर स्थापित है तथ कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटावेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अत्याधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर

रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य व दायित्व होंगे।

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पल चैकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप से दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- रांकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता

के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अपेक्षित जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों में सौ प्रतिशत [illegible] के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, [illegible] समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेन्ट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगें। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रदत्त एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिंट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक [illegible] जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। [illegible] सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई [illegible]

सकेगा।

आंकडों का उपयोग-

ई0एम0आई0उस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे-- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथ ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसा कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु अप्रसेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बलिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बधित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:–

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू.2 लाख रखी गयी है ।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंकटि इन्फोरमेंशन सिस्टम:–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईजड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एल0ऐ0सी0आई0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान:–

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम के दृष्टिगत रखते हुए इसको ओ अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये ब्लाक स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों , शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एंव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक सुधार किया जा सकें।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण तथा उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजना करना।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्मर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शैक्षिक आंकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।
12. शिक्षकों, समन्वयों , ई0एम0आई0एस0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यवायी संस्था जैसे-ग्राम शिक्षा समिति,स्वंम सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरिक की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू05000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट के खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत ससाधन केन्द्रों पर भी सयुक्त खाता खुला है । जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार

किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रौक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये है, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे। तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमो की अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय →
1. बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति
3. अध्यापक
4. स्वंय सेवी संस्था आदि

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान →
बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0

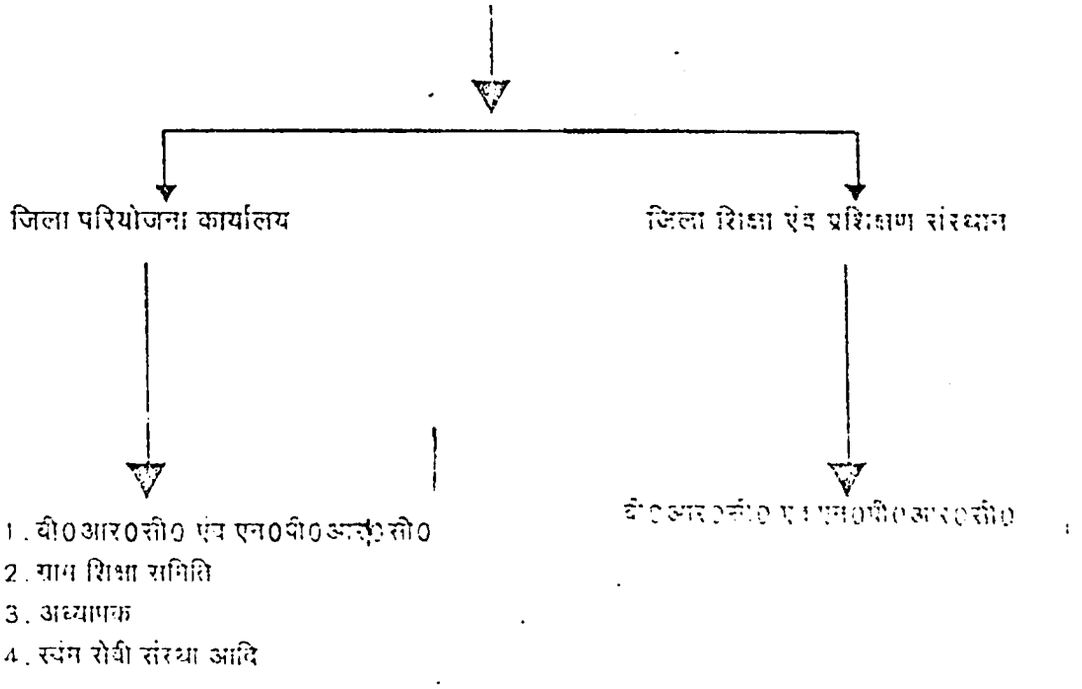

सम्प्रेक्षण व्यवस्था:-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत परियोजना सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा

परियोजना परिषद द्वार किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।
राज्या परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वालीह समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एंव उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगी इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन निर्देया प्राप्त कर आवश्यक उपाय किया जायेगें साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कर्मियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपार्ट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेषण किया जायेगा एंव निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियानवयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगें।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यो के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

Annual Work Plan and Budget

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Muzaffarnagar

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin
A	**ACCESS**			
A1	New Primary School Unserved	[illegible]	[illegible]	
A2	New Upper Primary Schools	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	[illegible]	[illegible]	
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	[illegible]	[illegible]	
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A8	Teaching Learning Equipment			
A8.1	PS	[illegible]		
A8.2	UPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A9	TLE UPS not covered Old	[illegible]	[illegible]	
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	[illegible]	0	[illegible]
	Total		[illegible]	44700
	Interventions for out of school children			
A11	Alternative Schools		[illegible]	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	[illegible]	[illegible]	
A11.2	Honraria	[illegible]		
A11.3	Training	[illegible]		[illegible]
A11.4	Contingency	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A11.5	Equipment	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A11.6	Adm. & Management Cost	[illegible]	[illegible]	
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A13	AIE Upper Primary	[illegible]	[illegible]	
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center	[illegible]	[illegible]	
A15	Bridge/Remedial course PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A16	Bridge Course at NPRC level	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	[illegible]	[illegible]	
A18	Updation Of Microplanning	[illegible]	0	
	ACCESS Subtotal		[illegible]	49673.60
R	**RETENTION**			
R1	**Reconstruction - PS**	[illegible]	[illegible]	
R2	**Reconstruction - UPS**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R3	**Additional Classrooms**		[illegible]	
R3.1	**Additional Classroom Primary Schools**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R3.2	**Addl. Classroom Upper Primary Schools**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R4.1	**Toilets Upper Primary**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R4.2	**Toilets Primary**	[illegible]	[illegible]	
R5.1	**Drinking Water Primary**	[illegible]	[illegible]	
R5.2	**Drinking Water Upper Primary**	[illegible]	[illegible]	
R6.1	**Repair & Maintenance of School Primary**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R6.2	**Repair & Maintenance of School UPS**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R7.1	**Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R7.2	**Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm**	[illegible]	[illegible]	
R7.3	**Salary of Additional Teacher (PS)**	[illegible]	[illegible]	
R7.4	**Salary of Fresh SM(PS)**	[illegible]	[illegible]	
R7.5	**Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R10.1	**School Improvement grant(p.a./school) Ps**	[illegible]	[illegible]	
R10.2	**School Improvement grant(p.a./school) UPs**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R12	**Promoting Girls Education**		[illegible]	
R12.1	Summer Camps	[illegible]	[illegible]	
R12.2	MCDA	[illegible]		
R12.3	Meena Manch	[illegible]		
R12.4	SUPW for Girls Per School		[illegible]	
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	[illegible]		
	Opening of ECCE centers			
R13	Strengthening ICDS centers		[illegible]	
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		[illegible]	
R13.2	TLM(per center)	[illegible]		
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	[illegible]		
R13.4	Contigency(per center)	[illegible]		
R13.5	Training		[illegible]	
R13.5a	Induction & Recurring	[illegible]	[illegible]	
R16	Community Mobilization		[illegible]	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	[illegible]	[illegible]	
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	[illegible]		
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	[illegible]	[illegible]	
R17	Award to Best VEC (2 no.)	[illegible]		
R18	Award to Best Shiksha Mitra			
R19	Special Interventions for SC/ST children	[illegible]		
R20	Computer edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.			
R21	School Health Check up/School PS+UPS	[illegible]		
	RETENTION Sub Total			[illegible]
Q	QUALITY IMPROVEMENT			
Q1	Training Programmes			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra/(person for 30 days)			
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher/(person for 30 days)			
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) [illegible] for PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS		[illegible]	
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra/(person for 20 days)			
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers/(person for 30 days)			
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators/(person for 10 days)			
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators/(person for 10 days)			
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET/(person for 20 days)			
Q1.10	ABSA/[illegible] Trg.(/person for 5 days)			
Q2	IED Provision for disable children			
Q2.1	IED Medical Assessment			
Q2.2	[illegible]			

Q2 3	Funds for [illegible]	[illegible]		[illegible]
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5		[illegible]
Q2 5	Support Services	5		
Q2 6	Training of Master Trainers	1.31	[illegible]	0
Q2 7	Training on IED to teachers(17.2 th (batch of 32 teachers	17.2	[illegible]	[illegible]
Q2 8	Aids and Appliances	15	[illegible]	0
Q2 9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2 10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2 11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2 12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2 14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	[illegible]	0	[illegible]
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	[illegible]	[illegible]	0
Q5	Teacher Learning Material		[illegible]	
Q5 1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q5 2	Teacher Grant (UPS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q5 3	Free Text book PS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q5 4	Free Text book UPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q5 5	School Library	[illegible]		[illegible]
Q5 6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	[illegible]	0	0
Q5 7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	[illegible]	[illegible]
Q5 8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Q5 9	Schools Awards	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	QUALITY Sub Total		[illegible]	11618.8
C	CAPACITY BUILDING		[illegible]	
C1	DIET Capacity Building		[illegible]	
C1 1	Equipments/Furniture/Computer	[illegible]		[illegible]
C1 2	Telephone/Fax	[illegible]	0	[illegible]
C1 3	Maintenance of Computer Room	[illegible]	0	[illegible]
C1 4	Educational Tour & Survey	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 5	Travelling Allowance	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 6	Hiring	[illegible]	0	[illegible]
C1 7	POL and Maintenance of Vehicle	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 8	Seminar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 9	Research/Action Research	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 10	Exposure Visit	[illegible]	0	[illegible]
C1 11	Salary of Computer Operator	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C1 12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	[illegible]
C1 13	Consumable/Computer Stationary	20	0	[illegible]
C1 14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2 1	Civil Construction	100	0	[illegible]
C2 2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	[illegible]	[illegible]
C2 5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	[illegible]
C2 6	Travelling Allowance & Meetings	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 7	Maintenance of Equipment	[illegible]		[illegible]
C2 8	Maintenance of Building	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 9	TLM(per center)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 10	Consumables	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 11	Contigency	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2 13	Contigency - ABSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3	School Complex (NPRC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 1	Construction	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 2	Equipment/Furniture Fixture	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 3	Books for Library, Book Bank TLM	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 4	Contingency	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C3 5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4	District Project Office/Management	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 1	Staffing	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 3	Salary of [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 4	Equipment Maintenance	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 5	Furniture Fixtures	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 6	Books, Magazines/News papers	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 7	[illegible] per Month	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 8	Travelling Allowances	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 9	Consumables	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 10	Telephone/FAX	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 11	Vehicle Maintenance & POL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 16	Contingency	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C4 17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5	MIS			
C5 1	MIS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 2	Salary of [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 3	Salary of Computer Operator for 12 mths	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 4	Purchase of Computer & Equipment [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 5	Furnishing of MIS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 6	Computer Software	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 7	Upgradation and [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 8	Printing & Distribution [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 9	Maint. of [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 10	Computer Consumable	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C5 11	Training Of Computer Staff			

R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	45	4416	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R7.5	Salary of Fresh SM(F S) to improve PTR(11 mths)	2 25	0	0	516	6966	224	5544	46	1138 5	47	1153.25	333	14811.75
R10.1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	0	0	26	52	1356	2712	1361	2722	1361	2722	4104	8208
R10.2	School Improvement grant(p a /school) UPs	2	253	506	470	940	467	934	472	944	472	944	2134	4268
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12 1	Summer Camps	4 5	0	0	0	0	70	315	70	315	70	315	210	945
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	112	448	112	448	112	448	336	1344
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	82	2050	82	2050	82	2050	246	6150
R12.5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0 07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13 2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	50	250	150	750	150	750	350	1750
R13 3	Additional Honn Of Instructor + Worker(per mth)	0.38	0	0	0	0	50	187.5	150	562.5	150	562 5	350	1312.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	50	75	150	225	150	225	350	525
R13 5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0 07	0	0	0	0	50	3.5	150	10 5	150	10 5	350	24.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16 1	MTA/PTA training for 2 days per person	0 07	0	0	0	0	886	2480.8	886	2480 8	886	2480 8	2658	7442.4
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	112	560	112	560	112	560	336	1680
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0 48	0	0	0	0	687	329.76	687	329 76	687	329 76	2061	989.28
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66 7	0	2212	0	0	6	400 2	6	400 2	6	400.2	18	3412.6
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	10	5000	70	4200	70	4200	70	4200	220	17600
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	406	1015	1823	4557 5	1823	4557.5	4052	10130
	RETENTION Sub Total		0	**6341**	0	**31846**	0	**75796.2**	0	**76075.16**	0	**72470.41**	**0**	**261528.73**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2 1	0	0	0	0	45	94.5	51	107.1	46	96.6	142	298.2
Q1 2	Induction Trg. For Asst Teacher(/person for 30 days)	0.07	105	220.5	0	0	46	96.6	66	138.6	47	98.7	264	554.4
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	1082	1514.8	140	196	4954	6935 6	5005	7007	5052	7072.8	16233	22726 2
Q1 4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1 05	0	0	1262	1325 1	2030	2131.5	2045	2147.25	2045	2147.25	7382	7751.1
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1156	1618.4	1202	1682.8	1249	1748.6	3607	5049.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0 07	0	0	0	0	184	386.4	0	0	0	0	184	386.4
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	42	29.4	42	29 4	42	29.4	126	88.2
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0 07	0	0	0	0	112	78.4	112	78 4	112	78.4	336	235.2
Q1.9	Trg Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0 07	0	0	0	0	27	37.8	27	37.8	27	37.8	81	113.4
Q.10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	21	7.35	21	7 35	21	7.35	63	22.05
Q2	IED Provision for disable children	1.2	810	324	1944	2332.8	2021	2425.2	2145	2574	2285	2742	9205	10398
Q2.1	IED-Medical Assessement	2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17 2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Muzaffarnagar

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	0	0	0	0	5	1280	0	0	5	1280
A2	New Upper Primary Schools	451	25	11275	70	19600	0	0	5	1400	0	0	100	32275
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no) in new school (2001-02/02-03)	10	75	6300	75	9000	75	9000	75	9000	75	9000	375	42300
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	0	0	0	0	5	123.75	5	123.75	10	247.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	0	0	0	0	5	540	5	540	10	1080
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	210	12600	210	25200	225	27000	225	27000	870	91800
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	5	50
A8.2	UPS	50	35	1750	70	3500	0	0	5	250	0	0	110	5500
A9	TLE UPS not covered OBB	50	46	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2300
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21625**	0	**44700**	0	**34400**	0	**39843.75**	0	**36863.75**		**177432.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	40	845	106	2239.25	106	2239.25	252	5323.5
A11.2	Honrana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm.& Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	28	1008	144	5184	144	5184	144	5184	460	16560
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	33	1980	33	1980	33	1980	99	5940
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	3	540	3	540	3	540	10	1800
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	112	3785.6	112	3785.6	112	3785.6	112	3785.6	448	15142.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	94	1442.9	250	3837.5	250	3837.5	594	9117.9
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21625.00**	0	**49673.60**	0	**48427.50**	0	**57660.10**	0	**54680.10**	**0**	**232066.30**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	20	3820	15	2865	0	0	35	6685
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	14	5362	0	0	0	0	0	0	14	5362
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	294	20580	250	17500	250	17500	794	55580
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	67	4690	0	0	0	0	0	0	80	5600
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	69	690	0	0	0	0	0	0	69	690
R4.2	Toilets Primary	10	30	300	0	0	300	3000	105	1050	0	0	435	4350
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	26	468	0	0	0	0	26	468
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1334	6670	1356	6780	1356	6780	1361	6805	5407	27035
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	295	1475	295	1475	406	2030	406	2030	411	2055	1813	9065
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 p.m(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	112	16128	112	16128	224	32256
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	112	112	0	0	112	112	112	112	336	336
C3.4	Contingency	2.5	0	0	112	280	0	0	112	280	112	280	336	840
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	112	268.8	112	268.8	112	268.8	112	268.8	448	1075.2
C4	District Project Office/Management		0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	11	1980	11	1980	22	3960
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	0	0	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	0	0	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	15	270	15	270	15	270	45	810
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	10.1	101	15	150	15	150	15	150	55.1	551
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	14	1680	14	1680	14	1680	14	1680	56	6720
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	1356	1898.4	1356	1898.4	2712	3796.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	286	403.2	320	448	0	0	406	568.4	406	568.4	1418	1988
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	1119.2	0	3768.8	0	3728.2	0	28639	0	28639		65884.2
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	1119.2	0	3958.8	0	3728.2	0	29138	0	29138	0	67082.2
	GRAND TOTAL		0	37376.2	0	97296.20	0	187947.71	0	222268.31	0	217362.06	0	762250.48

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Muzaffarnagar**

			2002-03		2003-04		20004-05		2005-06		2006-07		Total
Civil			12485.0		30342.0		27868.0		24095.0		17500.0		112290.0
Management			403.2		2769.0		2570.0		7585.8		7585.8		21113.8
Programme			24488.0		64185.2		157509.7		190587.5		192276.3		628846.7
Total			**37376.2**		**97296.2**		**187947.7**		**222268.3**		**217362.1.**		**762250.5**
Percentage - Civil			**33.4**		**31.2**		**14.8**		**10.8**		**8.1**		**14.7**
Percentage - Management			**1.1**		**2.8**		**1.4**		**3.4**		**3.5**		**2.8**
Percentage - Programme			**65.5**		**66.0**		**83.8**		**85.7**		**88.5**		**82.5**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**

Q2.10	Awareness workshop													
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1 31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg Of Plg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	210	105	6110	3055	6207	3103.5	6301	3150.5	18828	9414
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1187	593.5	2612	1306	2183	1091.5	2198	1099	2198	1099	10378	5189
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	3500	175	186644	9332.2	190144	9507.2	193946	9697.3	574234	28711.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	37588	5638.2	42526	6378.9	59593	8938.95	60834	9125.1	62122	9318.3	262663	39399.45
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1813	271.95	1813	271.95	1813	271.95	5439	815.85
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	152	7.6	402	20.1	402	20.1	956	47.8
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1356	20340	1356	20340	1356	20340	4068	61020
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	406	3045	406	3045	406	3045	1218	9135
Q5.9	School Awards (cademic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	8291	0	11818.8	0	59995.85	0	60394.05	0	61073.55		201573.25
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	14	2016	14	2016	28	4032
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	28	1848	28	1848	56	3696
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	14	84	14	84	14	84	14	84	56	336
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	14	70	14	70	14	70	14	70	56	280
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	14	175	14	175	14	175	14	175	56	700
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	14	50.4	14	50.4	14	50.4	42	151.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	14	70	14	70	28	140
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0